वित्तीय मध्यस्थता और बाज़ार

5
अध्याय

उच्चतर बचतों को जुटाने तथा अपेक्षाकृत उच्च निवेश तथा संवृद्धि का वित्तपोषण करने के लिए उनकी दक्ष मध्यस्थता करने के लिए अपेक्षाकृत व्यापक तथा गहन वित्तीय बाज़ार महत्वपूर्ण होंगे। वर्ष 1991 से स्थिर सुधारों के मद्देनज़र भारतीय वित्तीय बाज़ारों का सशक्त होना हालिया वर्षों में जारी रहा। विवेकपूर्ण विनियमों तथा संस्थाओं ने हालिया वैश्विक वित्तीय आघातों से अर्थव्यवस्था की संरक्षा की तथा इसकी गत्यात्मकता हालिया सुधार को अग्रसर कर रही है।

दिसम्बर 2010 के अंत तक वर्षानुवर्ष खाद्य-भिन्न ऋण संवृद्धि में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा इसने व्यापक रूप से कई क्षेत्रों का वित्तपोषण किया (कृषि सुधार से लेकर तृतीय जेनरेशन (3जी) स्पेक्ट्रम बिक्री तथा निजी अवसंरचना परियोजनाएं), जबकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (स.घ.उ.) के प्रति समग्र ऋण अनुपात अपनी प्रगति को जारी रखते हुए बढ़कर लगभग 55 प्रतिशत हो गया (किन्तु अभी भी संरचनात्मक रूप से यह संभाव्यता से काफी कम है)। घरेलू पूंजी बाज़ारों का निष्पादन वर्ष 2010 में काफी अच्छा था, प्राथमिक बाज़ारों ने अब तक की सर्वाधिक बड़ी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) (कोल इण्डिया के लिए) सहित कीर्तिमान स्तरों का वित्तपोषण किया जबकि द्वितीय बाज़ार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। कीर्तिमान स्तरीय विदेशी अंतर्वाहों ने बाजार का समर्थन करने में सहायता की। पेंशन तथा बीमा में सुधार हुआ तथा जीवन बीमा प्रीमियम में लगभग 26 प्रतिशत की संवृद्धि हुई तथा अंतर्वेधन वर्ष 2000 में, जब बीमा सुधार शुरू हुए थे, 2.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.4 प्रतिशत पर दोगुना हो गया। यदि हम भविष्य की ओर दृष्टि डालें तो हमारे समक्ष दोहरी चुनौतियां क्रमिक वित्तीय सुधार संबंधी इस प्रगति को जारी रखने तथा इसकी सतत् सुरक्षा तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विनियमों तथा संस्थाओं का आधुनिकीकरण करने की हैं।

*विगत वर्ष में बैंकिंग जमा राशि संवृद्धि में धीमापन परिलक्षित हुआ क्योंकि वास्तविक ब्याज दरें मंद थी विशेष रूप से अन्य तीव्र सुधारकारी आस्ति बाज़ारों (स्थावर सम्पदा, स्वर्ण तथा स्टॉक बाज़ार) में प्रतिफलों की तुलना में। प्राथमिकता बैंकिंग की पहुंच में पर्याप्त विस्तार करने की है जिससे अधिक बचतों को जुटाने में सहायता मिले, अधिक गहनता का वर्धन किया जा सके तथा अवसरों की अधिक दक्ष एवं कुशल मध्यस्थता की जा सके जिनमें पारम्परिक 'प्राथमिकता' क्षेत्रों के अवसर शामिल हैं। प्रगति के लिए (1) **वित्तीय समावेशन** को एक अगले महत्वपूर्ण कदम के रूप में त्वरित किया जाना आवश्यक है; इस संबंध में नवाचारी समाधान किए जाने आवश्यक होंगे; (2) **घरेलू पूंजी बाज़ारों** को तथा बैंक भिन्न संस्थाओं की भूमिका को, विशेषतया कारपोरेट बांड तथा ऋण बाज़ारों में, गहन बनाने के लिए समरूप प्रयास किए जाने आवश्यक हैं; (3) **ऐसे घटनाक्रमों के सम्मिलन में सहायता हेतु राजकोषीय घाटों को तीव्रता से कम किया जाना** आवश्यक है; तथा (4) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही **अनिवार्य विनियामक आमूल सुधार** की श्रृंखला आरम्भ की है जिसका उद्देश्य वित्तीय बाज़ारों के लिए महत्वपूर्ण आधुनिक विधान को अद्यतन करना तथा वृहद्-विवेकपूर्ण सुरक्षोपायों तथा संस्थाओं में सुधार लाना है; हमारे लिए इसी पथ पर अग्रसर रहना आवश्यक है। शेष अध्याय में वित्तीय क्षेत्र में घटनाक्रमों की इस श्रृंखला का वर्णन किया गया है।*

बैंक ऋण

5.2 बैंक ऋणों ने, जो वर्ष 2009-10 की अंतिम तिमाही से बढ़ने आरंभ हो गए थे, वर्ष 2010-11 के दौरान भी अपना संवेग जारी रखा। ऋण में बढ़ोतरी ने अपेक्षाकृत सशक्त औद्योगिक सुधार तथा संवृद्धि के साथ संबद्ध बेहतर मांग दशाओं को प्रतिबिंबित किया। दूरसंचार आपरेटरों ने 3जी/ब्राड बैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रमों के लिए भुगतान करने हेतु ऋण जुटाया जिसने वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही में अपेक्षाकृत सशक्त ऋण वृद्धि में अंशत: योगदान दिया।

सारणी 5.1 : बैंक ऋण का प्रवाह

17 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार

	मार्चांत की स्थिति के अनुसार बकाया			निम्न तिथि को बकाया		वित्तीय वर्ष में अब तक		वर्षानुवर्ष	
	(₹ करोड़ में)							(प्रतिशत भिन्नता)	
	2008	2009	2010	17 दिस.. 2010	18 दिस., 2009	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1. बैंक ऋण	23,61,914	27,75,549	32,44,788	36,39,866	29,42,279	6.0	12.2	11.3	23.7
(क) खाद्य ऋण	44,399	46,211	48,489	62,521	45,037	-2.5	28.9	-13.6	38.8
(ख) खाद्य-भिन्न ऋण	23,17,515	27,29,338	31,96,299	35,77,345	28,97,242	6.2	11.9	11.8	23.5
2. सकल जमा	31,96,940	38,34,110	44,92,826	47,99,789	41,84,358	9.1	6.8	17.9	14.7
(क) मांग जमा	5,24,310	5,23,085	6,45,610	5,84,713	5,25,516	0.5	-9.4	19.9	11.3
(ख) सावधि जमा	26,72,630	33,11,025	38,47,216	42,15,076	36,58,842	10.5	9.6	17.6	15.2
3. निवेश	9,71,715	11,66,410	13,84,752	14,43,303	13,49,540	15.7	4.2	24.6	6.9
(क) सरकारी	9,58,662	11,55,785	13,78,395	14,38,268	13,42,383	16.1	4.3	25.2	7.1
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	13,053	10,625	6,358	5,035	7,156	-32.6	-20.8	-34.5	-29.6

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

5.3 वर्ष 2008-09 में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, बैंक क्रेडिट में वृद्धि संतुलित होकर वर्ष 2009-10 में 16.9 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान खाद्य-भिन्न ऋण क्रमशः 17.8 प्रतिशत तथा 17.1 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 के दौरान ऋण में जून 2010 के आरंभ से अत्यधिक सशक्त रूप से तेजी आनी आरंभ हुई तथा तब से बैंक ऋण में वृद्धि ने एक सतत् वर्धनकारी रुझान दर्शाया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा प्रदत्त बैंक क्रेडिट में वृद्धि 17 दिसम्बर 2010 को 12.2 प्रतिशत थी जबकि 2009-10 की सदृश अवधि में यह 6.0 प्रतिशत थी1 17 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार बैंक ऋण में वर्षानुवर्ष वृद्धि विगत वर्ष की सदृश अवधि में 11.3 प्रतिशत की तुलना में 23.7 प्रतिशत पर उच्च थी। वस्तुतः यह वर्ष 2010-11 के लिए द्वितीय तिमाही पुनरीक्षा (2 नवम्बर) में यथा निर्धारित पूर्ण वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक के 20 प्रतिशत के निर्दिष्टात्मक अनुमानित प्रक्षेप पथ से उच्च थी। वित्त वर्ष आधार पर वर्ष 2010-11 में अब तक खाद्य-भिन्न ऋण में वृद्धि विगत वर्ष में 6.2 प्रतिशत की तुलना में 11.9 प्रतिशत पर तथा विगत वर्ष की सदृश अवधि के लिए 11.8 प्रतिशत की तुलना में वर्षानुवर्ष आधार पर 23.5 प्रतिशत पर काफ़ी अधिक उच्चतर थी। वर्ष 2010-11 में अभी तक सकल जमाराशियों में वृद्धि विगत वर्ष की सदृश अवधि के लिए वृद्धि की तुलना में निम्नतर रही है। (सारणी 5.1)। वर्ष 2010-11 के दौरान जमाराशियों में निम्नतर वृद्धि के सापेक्ष ऋण में उच्च विस्तार से ऋण-जमाराशि अनुमात मार्चांत, 2010 में 72.2 प्रतिशत से बढ़कर 17 दिसम्बर 2010 को 75.8 प्रतिशत हो गया है। (चित्र 5.1)

चित्र 5.1 ऋण–जमा अनुपात

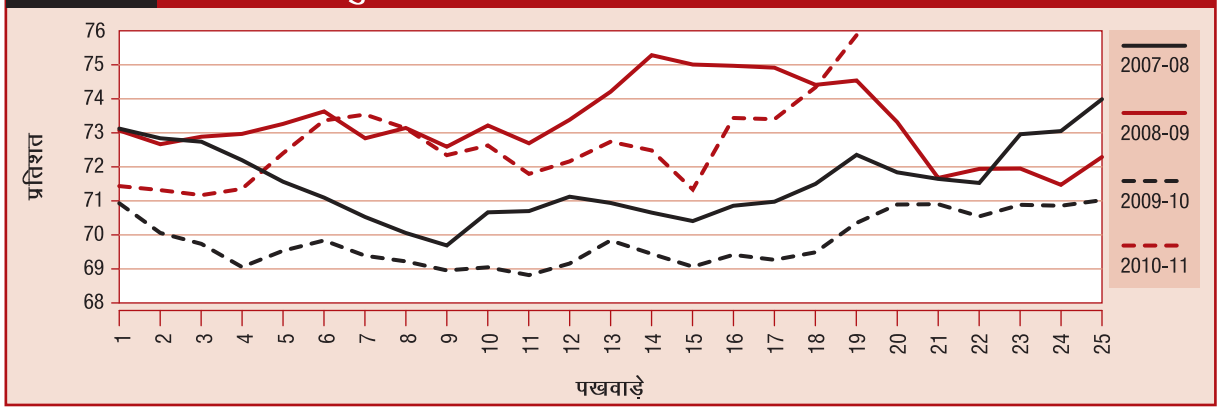

चित्र 5.2 निवेश जमा अनुपात

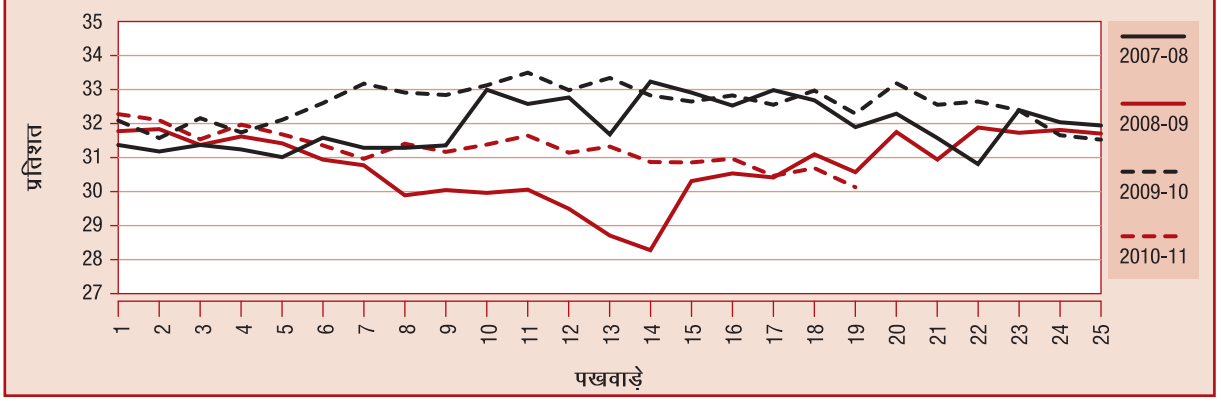

5.4 वित्त वर्ष के दौरान अब तक, प्रदत्त ऋण में वृद्धि के अर्थ में निजी क्षेत्रक बैंकों का निष्पादन सरकारी क्षेत्रक बैंकों तथा विदेशी बैंकों की तुलना में बेहतर रहा है। उच्चतर ऋण वृद्धि तथा नकदी की कमी की स्थिति के कारण, सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक बैंकों का निवेश विगत वर्ष में 29.2 प्रतिशत की तुलना में 27.3 प्रतिशत पर निम्न रहा। परिणामस्वरूप, निवेश-जमा अनुपात मार्च, 2010 के अंत में 30.8 प्रतिशत से गिर कर 17 दिसम्बर 2010 को 30.1 प्रतिशत हो गया (चित्र 5.2) क्योंकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवेश तथा जमा वृद्धि अपेक्षाकृत निम्नतर है।

ब्याज दरें

1. जमा दरें

5.5 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घरेलू जमा दरों में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक वृद्धि हुई है। मार्च-नवम्बर, 2010 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपो एवं प्रतिवर्ती रिपो दरों को क्रमश: 125 आधार बिन्दु (बीपीएस) तथा 175 बीपीएस बढ़ाए जाने के पश्चात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी जमा दरों में 50 बीपीएस से 200 बीपीएस की वृद्धि की। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा एक से तीन वर्षों की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर पेशकश की गई ब्याज दरें मार्च 2010 में क्रमश: 6.00-7.25 प्रतिशत, 5.25-7.75 प्रतिशत, तथा 2.25-8.50 प्रतिशत की सीमा से दिसम्बर 2010 में क्रमश: 7.00-8.50 प्रतिशत, 7.25-9.00 प्रतिशत, तथा 3.00-8.00 प्रतिशत की सीमा में परिवर्तित हो गई है (सारणी 5.2)।

ii उधार देने की दरें

5.6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बीपीएलआर जुलाई,2009 से जून, 2010 के अंत तक अपरिवर्तित रहीं। पहली जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली ने बीपीएलआर प्रणाली को प्रतिस्थापित किया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की आधार दरें क्रमश: 7.50-8.25 प्रतिशत, 7.00-8.75 प्रतिशत तथा 5.50-9.00 प्रतिशत की सीमा में नियत की गईं। तदनंतर, कई बैंकों ने अपनी आधार दरों की समीक्षा की तथा उन को बढ़ा दिया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की आधार दर दिसम्बर, 2010 में क्रमश: 7.60-9.00 प्रतिशत तथा 7.00-9.00 प्रतिशत में परिवर्तित हो गईं। (सारणी 5.2)। पहली जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली में अंतरण के पश्चात, हम बैंकों द्वारा यथा घोषित आधार दरों में समाभिरूपता का भारी अंश पाते हैं। कुल बैंक ऋणों में 97 प्रतिशत अंश वाले लगभग 60 बैंकों ने नवम्बर 2010 में आधार दर 7.00-8.50 प्रतिशत की सन्निकट सीमा में नियत की है।

iii अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमा राशियों पर ब्याज दरें

5.7 अनिवासी विदेशी सावधि जमा राशियों (एनआरई) तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाता (एफसीएनआर(बी)), जमाराशियों पर ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। वर्तमान में, एनआरई उच्चतम सीमा जमाराशि ब्याज दर लिबोर जमा 175 आधार बिन्दु हैं तथा एफसीएनआर(बी) उच्चतम जमाराशि ब्याज दर लंदन इंटर बैंक पेशकश दर (लिबोर) जमा 100 बीपीएस है।

iv रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर

5.8 270 दिन तक के पूर्व-नौवहन रुपया निर्यात ऋण और 180 दिन तक के पश्च-नौवहन रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा की बीपीएलआर से नीचे 2.50 बीपीएस में अपचयन की वैधता को 30 अप्रैल, 2010 से बढ़ाकर 30 जून, 2010 किया गया। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दौरान 9 अप्रैल 2010 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी कि वे पहली जुलाई 2010 से बीपीएलआर प्रणाली को आधार दर प्रणाली से प्रतिस्थापित कर दें। इससे निर्यात ऋण पर ब्याज दर से संबंधित सूत्र में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि 270 दिन तक के पूर्व नौवहन रुपया निर्यात ऋण पर एवं 180 दिन तक पश्च-नौवहन रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरों को अप विनियमित कर दिया जाए। अत: बैंक पहली जुलाई 2010 से आधार दर पर या उससे अधिक दर पर निर्यात ऋण संबंधी उधार दर का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सारणी 5.2 : जमा और उधार दरों में घट-बढ

(प्रतिशत)

ब्याज दरें	मार्च-2009	मार्च-2010	जून-2010	जुलाई-2010	सित.2010	दिस.-2010*
सावधि जमा दरें						
सरकारी क्षेत्र के बैंक						
(क) 1 वर्ष तक	2.75-8.25	1.00-6.50	1.00-6.25	1.00-6.25	1.00-7.00	1.00-8.00
(ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	8.00-9.25	6.00-7.25	6.00-7.25	6.00-7.25	6.75-7.75	7.00-8.50
(ग) 3 वर्ष से अधिक	7.50-9.00	6.50-7.75	6.50-7.75	6.50-7.75	7.00-7.75	7.00-8.75
निजी क्षेत्र के बैंक						
(क) 1 वर्ष तक	3.00-8.75	2.00-6.50	2.00-6.50	2.00-6.50	2.50-7.25	2.50-7.60
(ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	7.50-10.25	5.25-7.75	6.25-7.50	6.25-7.75	6.50-8.25	7.25-9.00
(ग) 3 वर्ष से अधिक	7.50-9.75	5.75-8.00	6.50-8.00	6.50-8.00	6.50-9.00	7.00-9.00
विदेशी बैंक						
(क) 1 वर्ष तक	2.50-8.50	1.25-7.00	1.25-7.00	1.25-7.00	1.25-7.30	1.25-7.00
(ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	2.50-9.50	2.25-8.00	3.00-8.00	3.00-8.00	3.00-8.00	3.00-8.00
(ग) 3 वर्ष से अधिक	2.50-10.00	2.25-8.75	3.00-8.50	3.00-8.50	3.00-8.25	3.00-8.25

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणिया : 10 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार।

2. मूल प्रमुख उधार दर (बीपीएलआर)

5.9 भारत सरकार ने चार निर्यात क्षेत्रकों नामत: हस्तशिल्प, कारपेट, हस्तकरघा तथा लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) के लिए इस शर्त के अधीन कि आर्थिक सहायता के पश्चात व्याज दर 7 प्रतिशत से, जो प्राथमिक क्षेत्रक उधार के अंतर्गत अल्पावधि फसल ऋण पर प्रयोज्य दर है, कम नहीं गिरेगी, पूर्व तथा पश्च-नौवहन रुपया निर्यात ऋण पर पहली अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक 2 प्रतिशतांक बिंदु की ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। आधार दर प्रणाली में अंतरण किए जाने से, पहली जुलाई 2010 से रुपया निर्यात ऋण अग्रिमों की सभी अवधियों के लिए प्रयोज्य व्याज दरें सभी नवीन/नवीकृत अग्रिमों के संबंध में आधार दर पर या उससे अधिक होंगी। तदनुसार, बैंक चारों क्षेत्रों में आधार दर प्रणाली के अनुसार निर्यातकों से प्रभार्य व्याज दर में से उपलब्ध आर्थिक सहायता की राशि को कम कर सकते हैं। यदि इसके परिणामस्वरूप, निर्यातकों को प्रभार्य व्याज दर आधार दर से कम हो जाए तो ऐसे उधार की व्याख्या आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के अर्थ में नहीं की जाएगी।

ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

5.10 19 नवम्बर 2010 तक उपलब्ध लगभग 95 प्रतिशत बैंक ऋण तथा खाद्य भिन्न ऋण के लिए उत्तरदायी 47 बैंकों से सकल बैंक ऋण के क्षेत्रक नियोजन से संबंधित असंकलित आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रमुख क्षेत्रों में, कृषि को ऋण (वर्षानुवर्ष) ने 20.0 प्रतिशत (मार्च 2010 में 22.9 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि उद्योग (मध्यम तथा बड़े) को ऋण में 28.9 प्रतिशत (मार्च 2010 में 24.8 प्रतिशत की तुलना में) की वृद्धि दर्ज की गई। थोक व्यापार को ऋण में 17.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (मार्च 2010 में 28.1 प्रतिशत की तुलना में)।

5.11 प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण में नवम्बर 2010 में 21.0 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि हुई जबकि मार्च 2010 में यह प्रतिशतता 17.1 प्रतिशत थी। प्राथमिकता प्राप्त उप-क्षेत्रों में, अति लघु तथा लघु उद्यमों (एमएसई) (सेवा क्षेत्रक उद्यमों सहित) को ऋण में मार्च 2010 में 20.8 प्रतिशत की तुलना में नवम्बर 2010 में 21.5 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

5.12 सरकारी तथा निजी, दोनो क्षेत्रों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण(एएनबीसी) या तुलन पत्र बाह्य देनदारी (ओबीई) की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत, कृषि तथा अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के क्रमश: 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषिय अग्रिमों की प्रत्यक्ष श्रेणी पर बैंकों का संकेन्द्रण कम न हो जाए, कृषि को एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के 4.5 प्रतिशत से अधिक का अप्रत्यक्ष उधार 18 प्रतिशत के लक्ष्य के तहत निष्पादन का परिकलन करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाता। तथापि, 'प्रत्यक्ष' एवं 'अप्रत्यक्ष' श्रेणियों के तहत सभी कृषिय अग्रिमों को एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि,

सारणी 5.3 : प्रमुख क्षेत्रकों द्वारा सकल बैंक ऋण का नियोजन

क्रम संख्या	क्षेत्र	को बकाया (₹ कारोड़)				घट-बढ़ का प्रतिशत		
		27 मार्च 2009	20 नव. 2009	26 मार्च 2010	19 नव. 2010	26 मार्च/ 2010 संपूर्ण राशि	27 मार्च 2009	19 नव. 2010 / 20 नव. 2009
	सकल बैंक का ऋण (1+2)	26,47,368	27,56,861	30,88,569	33,71,551	4,41,201	16.7	22.3
1.	खाद्य ऋण	45,544	40,645	48,562	56,248	3018	6.6	38.4
2.	खाद्य-भिन्न सकल बैंक ऋण (क+ख+ग+घ)	26,01,825	27,16,216	30,40,007	33,15,303	4,38,182	16.8	22.1
	क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	932,459	949,287	1,092,179	1,148,808	159,720	17.1	21.0
	i) कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	338,656	343,070	416,133	411,816	77,477	22.9	20.0
	ii) अति लघु और लघु उद्यम	309,195	335,655	373,530	407,872	64,335	20.8	21.5
	iii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2,84,608	2,70,562	3,02,516	3,29,120	17,908	6.3	21.6
	ख) उद्योग (अति लघु, तथा लघु, मझोले व बड़े)	8,85,393	9,69,261	11,05,051	12,49,843	2,19,658	24.8	28.9
	ग) थोक व्यापार (खाद्य अधिप्राप्ति के अतिरिक्त)	67,425	80,922	86,357	94,702	18,932	28.1	17.0 व्यापार
	घ) अन्य क्षेत्र	7,16,548	7,16,746	7,56,420	8,21,950	39,872	5.6	14.7
	कुल खाद्य-भिन्न सकल बैंक ऋण में से							
1.	आवास (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवासन सहित)	2,79,365	2,91,760	3,00,929	3,27,391	21,564	7.7	12.2
2.	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8187	8028	8294	8928	107	1.3	11.2
3.	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	92,421	88,581	92,128	1,05,479	(293)	-0.3	19.1
4.	पर्यटन और होटल और रेस्तरां	13,625	15,667	19,410	26,470	5785	42.5	69.0
5.	शेयरों, बांडों इत्यादि के एवज में व्यक्तियों को ऋण	2287	2347	2863	2935	576	25.2	25.1

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम हैं और उन चयनित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं, जिनका सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल बैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा है।

जो भी उच्चतर हो, के 40 प्रतिशत के समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य के तहत निष्पादन का परिकलन करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

5.13 विदेशी बैंकों, जिनके भारत में कार्यालय हैं, द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि, जो भी उच्चतर है, के 32 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विदेशी बैंकों द्वारा हासिल किए जाने वाले 32 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत, एमएसई तथा निर्यात क्षेत्रों को अग्रिम एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के क्रमश: 10 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए।

5.14 मार्च, 2008, 2009 तथा 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त बकाया अग्रिम सारणी 5.4 में दिए गए हैं। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के तथा विदेशी बैंकों के कुछेक व्यष्टि बैंकों के मामले में कमियां पाई गई थीं।

5.15 सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के बकाया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम मार्च 2009 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 7,24,150 करोड़ रुपए से बढ़कर 19.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 8,64,564 करोड़ रुपए हो गए। यद्यपि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एक समूह के रूप में एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के 40 प्रतिशत का समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का लक्ष्य हासिल कर लिया था तथा मार्च 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार एएनबीसी के 41.68 प्रतिशत का निर्माण कर लिया था, 27 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से तीन बैंकों नामत: स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इण्डियन ओवरसीज बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) लिमिटेड ने व्यष्टि रूप से लक्ष्य हासिल नहीं किया।

5.16 निजी क्षेत्र के बैंकों के बकाया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक अग्रिम मार्च 2009 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 1,87,849 करोड़ रुपए से बढ़कर 14.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 2,15,552 करोड़ रुपए हो गए। यद्यपि एक समूह के रूप में निजी क्षेत्र के बैंकों ने एएनबीसी के या ओबीई के ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के 40 प्रतिशत का समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधार लक्ष्य हासिल कर लिया था तथा मार्च 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार एएनबीसी के 45.99 प्रतिशत का निर्माण कर लिया था,

सारणी 5.4 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का ब्यौरा

क. सरकारी क्षेत्र के बैंक (₹ करोड़)

अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति	मार्च 2008	मार्च 2009	मार्च 2010 (अनंतिम)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	6,10,450(44.7)	7,24,150(42.8)	8,64,564(41.7)
कृषि क्षेत्र को कुल अग्रिम*	2,49,397(18.3)	2,99,415(17.7)	3,70,730(17.3)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कुल अग्रिम	1,51,137(11.1)	1,91,408(11.3)	2,78,398(13.2)
कमज़ोर वर्गों को अग्रिम	1,21,740(8.9)	1,65,829(9.8)	2,12,214(10.2)

ख. निजी क्षेत्र के बैंक

अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति	मार्च 2008	मार्च 2009	मार्च 2010 (अनंतिम)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	1,64,068(47.8)	1,87,849(46.2)	2,15,552(46.0)
कृषि क्षेत्र को कुल अग्रिम*	58,567(17.0)	76,103(18.7)	89,769(15.6)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कुल अग्रिम	46,912(13.7)	46,656(11.5)	64,534(13.7)
कमज़ोर वर्गों को अग्रिम	7152(2.0)	14,262(3.5)	25,690(5.5)

ग. विदेशी बैंक

अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति	मार्च 2008	मार्च 2009	मार्च 2010 (अनंतिम)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	50,254(39.5)	55,483(34.3)	60,290(35.0)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कुल अग्रिम*	15,489(12.2)	18,138(11.2)	21,080(12.3)
कुल निर्यात ऋण (एसएसआई निर्यात सहित)	28,954(22.7)	31,511(19.4)	35,466(20.7)

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

Note: 1. अप्रत्यक्ष कृषि को केवल एएनबीसी अथवा ओबीई की ऋण के समतुल्य राशि, के 4.5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, तक गणना में लिया जाता है।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के प्रति अग्रिमों की प्रतिशतता, को दर्शाते है।

22 निजी क्षेत्रक बैंकों में से दो बैंकों नामत: बैंक ऑफ राजस्थान लि॰ तथा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) वाणिज्यिक बैंक ने व्यष्टि रूप से लक्ष्य हासिल नहीं किया था।

5.17 विदेशी बैंकों के बकाया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक अग्रिम मार्च 2009 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 55,415 करोड़ रुपए से बढ़कर 8.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 60,290 करोड़ रुपए हो गए। विदेशी बैंकों ने भी एक समूह के रूप में एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के 32 प्रतिशत का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधार का समग्र लक्ष्य हासिल कर लिया था तथा मार्च 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार एएनबीसी के 35.09 प्रतिशत का निर्माण कर लिया था। तथापि, 28 विदेशी बैंकों में से दो बैंकों, नामत: क्रंग थाई बैंक तथा ओमान इंटरनेशनल बैंक ने व्यष्टि रूप से लक्ष्य हासिल नहीं किया था। सारणी 5.4 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक अग्रिमों के आंकड़े दिए गए हैं।

5.18 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में सुधार लाने तथा उसे बढ़ाने के उद्देश्य से, वर्ष 2010-11 के दौरान निम्न नीतिगत उपाय किए गए थे:-

(i) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि:-

(क) एमएसई क्षेत्र को कुल अग्रिमों में से, 40 प्रतिशत अग्रिम उन अति लघु (विनिर्माणकारी) उद्यमों को, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में 5 लाख रुपए तक का निवेश है तथा अति लघु (सेवा) उद्यमों को जिनका उपकरण में 2 लाख रुपए तक का निवेश है, जाने चाहिए;

(ख) एमएसई क्षेत्र को कुल अग्रिमों में से, 20 प्रतिशत अग्रिम उन अति लघु (विनिर्माणकारी) उद्यमों को, जिनका निवेश संयत्र तथा मशीनरी में 5 लाख रुपए से अधिक तथा 25 लाख रुपए तक है, तथा उन अति लघु (सेवा) उद्यमों को, जिनका उपकरण में निवेश 2 लाख रुपए से अधिक 10 लाख रुपए तक है, जाएंगे। (इस प्रकार एमएसई अग्रिमों का 60 प्रतिशत अति लघु उद्यमों को जाना चाहिए)।

(ii) भारत सरकार द्वारा गठित अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) संबंधी प्रधान मंत्री कृत्तिक बल की सिफारिशों के अनुसार, बैंकों को निम्न प्रकार सलाह दी गई थी:-

(क) वर्धित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एमएसई को ऋण में 20 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि हासिल करना;

(ख) अति लघु उद्यमों को एमएसई अग्रिमों के 60 प्रतिशत का आबंटन चरणों में हासिल करना नामत: वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत

तथा वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत का आबंटन हासिल करना, तथा

(ग) अति लघु उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हासिल करना।

(iii) अति लघु तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी समूह (अध्यक्ष: श्री वी के शर्मा, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) की सिफरिशों के अनुसार बैंकों को सलाह दी गई कि वे एमएसई क्षेत्र में यूनिटों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार न करें।

(iv) कृषीय ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं की माफी हेतु सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई थी। इस प्रकार, वर्तमान में, एक लाख रुपए तक के सभी कृषीय ऋणों के लिए किसी संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है।

अति लघु वित्त:

5.19 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अति लघु ऋण को मुख्य धारा में शामिल करने तथा अति लघु ऋण प्रदायकों का पहुंच क्षेत्र बढ़ाने के लिए जारी दिशानिर्देशों में अन्य बातों के अलावा यह निर्दिष्ट किया गया था कि बैंकों द्वारा व्यष्टि उधारकर्ताओं को सीधे अथवा किसी मध्यवर्ती के माध्यम से दिया गया अति लघु ऋण इसके बाद उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण का हिस्सा माना जाएगा। तथापि, अति लघु वित्त के लिए कोई विशिष्ट मॉडल निर्धारित नहीं किया गया था तथा बैंकों को अति लघु ऋण देने के लिए अपने स्वयं के मॉडल बनाने अथवा किसी माध्यम/मध्यवर्ती को चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी।

5.20 यद्यपि अति लघु वित्त प्रबंधन के लिए भिन्न-भिन्न मॉडल हैं स्व-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक लिंकेज कार्यक्रम देश में प्रमुख अति लघु-वित्तपोषण कार्यक्रम के तौर पर उभर कर आया है। इसे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

5.21 एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार स्वसहायता समूहों द्वारा धारित 69.53 लाख बचत बैंक खाते थे, जिनमें कुल बचत 6199 करोड़ रुपए थी, जबकि 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 5546 करोड़ रुपए की बचत वाले 61.21 लाख खाते स्वसहायता समूहों द्वारा धारित थे। इस प्रकार कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकिग एजेन्सियों के साथ लगभग 97 मिलियन परिवार जुड़े हुए थे। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, एसएचजी बचतों में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा सबसे अधिक था, जिनके पास 3674 करोड़ रुपए राशि (59 प्रतिशत) के, 40,52,915 एसएचजी बचत खाते (58 प्रतिशत) थे, इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिनके पास 1299 करोड़ रुपए की बचत राशि (21 प्रतिशत) के 18,20,870 एसएचजी बचत बैंक खाते (26.2 प्रतिशत) थे और सहकारी बैंकों, जिनके पास 1225 करोड़ रुपए राशि (19.8 प्रतिशत) की बचत राशि के 10,79,465 एसएचजी बचत बैंक खाते (15.5 प्रतिशत) थे, का स्थान है। कुल बचत खातों में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का हिस्सा 16,93,910 एसएचजी था जो बैंकों में कुल एसएचजी बचत खातों का 24.3 प्रतिशत होता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी बैंकों में प्रति एसएचजी औसत बचत 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 9060 रुपए से मामूली सी कम होकर 31 मार्च, 2010 को 8915 रुपए रह गई। ये सहकारी बैंकों में 11,352 रुपए प्रति एसएचजी के उच्च स्तर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 7136 रुपए प्रति एसएचजी के निम्न स्तर के बीच भिन्न-भिन्न थी। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, बचत बैंक खातों वाले कुल एसएचजी में महिला एसएचजी का हिस्सा 53.10 लाख था जो पूर्ववर्ती वर्ष के 79.5 प्रतिशत के हिस्से की तुलना में 76.4 प्रतिशत होता है।

5.22 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 22,680 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वाले 42.24 लाख एसएचजी की तुलना में 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 48.51 लाख एसएचजी के 28,038 करोड़ रुपए के बकाया बैंक ऋण थे जो एसएचजी की संख्या में 14.8 प्रतिशत की तथा एसएचजी को बकाया बैंक ऋणों में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते है। इन आंकड़ों में 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, एसजीएसवाई के तहत 5862 करोड़ रुपए के बकाया बैंक ऋण वाले 9.77 लाख एसएचजी की तुलना में 6251 करोड़ रुपए (22.3 प्रतिशत) के बकाया बैंक ऋणों वाले 12.45 लाख एसएचजी (25.7 प्रतिशत) शामिल हैं। एसएचजी को बकाया बैंक ऋणों में वाणिज्यिक बैंकों का अधिकतम अर्थात 66.7 प्रतिशत हिस्सा था जिसके पश्चात 22.8 प्रतिशत हिस्से के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तथा 10.5 प्रतिशत हिस्से के साथ सहकारी बैंकों का स्थान आता है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार प्रति एसएचजी 53,689 रुपए के औसत बकाया बैंक ऋण की तुलना में 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार प्रति एसएचजी औसत बकाया ऋण 57,795 रुपए था। यह वाणिज्यिक बैंकों के मामले में प्रति एसएचजी 62,289 रुपए के उच्च स्तर से लेकर सहकारी बैंको के मामले में 33,894 रुपए के निम्न स्तर के बीच भिन्न भिन्न था।

5.23 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, एसएचजी को बैंक ऋणों के संबंध में सकल अनर्जक अस्तियां 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार एस एच जी को बकाया बैंक ऋणों का 2.94 प्रतिशत थी। सारणी 5.5 में कार्यक्रम के लिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं।

5.24 अति लघु वित्त क्षेत्र में आए संवेग से क्षेत्र को विनियमित करने का मुद्दा विशिष्ट प्रकाश में आया है। एक मसौदा अति लघु वित्तीय क्षेत्र (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2010 सरकार के विचाराधीन है।

सारणी 5.5 : अति लघु वित्त कार्यक्रम की प्रगति

वर्ष	बैंकों द्वारा वित्तपोषित नए एस एच जी					बैंक ऋण* (₹ करोड़)
	वर्ष के दौरान		वर्ष के दौरान संचयी			
	स. (लाख)	वृद्धि (%)	स. (लाख)	राशि (₹ करोड़)	वृद्धि (%)	संचयी
2006-07	11.06		28.94	6570.39		12,366.49
2007-08	12.28	11.00	36.26	8849.26	35.00	16,999.90
2008-09	16.09	31.10	42.24	12,256.51	38.50	22,679.85
2009-10	15.87	(-)1.40	48.52	14,453.30	17.90	28,038.28

स्रोत: नाबार्ड
टिप्पणी: इसमें विद्यमान एस एच जी को पुनरावृत्त ऋण

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

5.25 भारत सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की। इसे कृषि क्षेत्र को उधार देने में वाणिज्यिक बैंकों की कमी की सीमा तक उनसे अंशदान के जरिए जुटाया जाना था। तदनंतर निधि जारी है जिसकी मूल निधि की घोषणा प्रतिवर्ष बजट में की जाती है। विगत वर्षों के दौरान आरआईडीएफ के अधीन कवरेज को प्रत्येक किस्त में अधिक व्यापकाधारित बनाया गया है और इस समय विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत 31 क्रियाकलापों को वित्तपोषित किया जा रहा है। केन्द्रीय बजट में आरआईडीएफ के लिए घोषित निधियों के वार्षिक आवंटन में क्रमशः बढ़ोत्तरी होकर यह निधियां 1995-96 (आरआईडीएफ I) में 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 (आरआईडीएफ XVI) में 16,000 करोड़ रुपए हो गयी हैं। सकल आबंटन 1,16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त भारत निर्माण कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क संघटक का वित्तपोषण करने के लिए एक पृथक विंडो की शुरुआत वर्ष 2006-07 मे की गई है जिसमें किया गया संचयी आबंटन वर्ष 2009-10 तक 18,500 करोड़ रुपए है।

5.26 आरआईडीएफ I से XVI तक के लिए किए गए 1,16,000 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से विभिन्न राज्य सरकारों को कुल मिलाकर 1,13,437 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी हैं और नवम्बर, 2010 के अंत तक निधि के अंतर्गत 73,687 करोड़ रुपए की निधियां संवितरित की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी को 18,500 करोड़ रुपए (आरआईडीएफ XII से आरआईडीएफ XV) की सम्पूर्ण राशि स्वीकृत की गई थी तथा इसने मार्च 2010 तक इसका पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है (सारणी 5.6)

5.27 2010-11 के दौरान, नवंबर, 2010 के अंत तक राज्यों को कुल संवितरण 9649 करोड़ रुपए था (सारणी 5.7)।

सारणी 5.6 : आरआईडीएफ और भारत निर्माण के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण

(30 नवम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार) (करोड़ ₹)

क्षेत्र	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृति के प्रतिशत के रूप में संवितरण
दक्षिण	29,912	20,502	68.54
पश्चिम	15,567	11,697	75.14
उत्तर	32,880	21,502	65.40
मध्य	9,944	6,290	63.25
पूर्व	19,788	10,767	54.41
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम	5,346	2,929	54.79
उपजोड़	1,13,437	73,687	64.96
भारत निर्माण	18,500	18,500	100.00
कुल जोड़	**1,31,937**	**92,187**	**69.87**

स्रोत : नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)

सारणी 5.7 : वर्ष 2010-11 के दौरान संवितरण

(30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार) (₹ करोड़)

क्षेत्र	संवितरण		उपलब्धि (प्रतिशत)
	लक्ष्य	उपलब्धि	
दक्षिण	3510	1401	39.91
पश्चिम	1960	573	29.23
उत्तर	4550	1478	32.48
मध्य	1440	360	25.00
पूर्व	3250	1257	38.68
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम	790	179	22.66
जोड़	15,500	5248	33.86

स्रोत : नाबार्ड

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण

कृषि ऋण का प्रवाह

5.28 2009-10 में कृषि ऋण के लिए 3,25,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में, बैंकिंग प्रणाली ने कृषि क्षेत्र को 3,84,514 करोड़ रुपए का ऋण संवितरित किया जो लक्ष्य की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक था। वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने मिलकर 2009-10 के दौरान 77.49 लाख नए किसानों को ऋण प्रदान किए और सहकारी बैंकों ने 13.43 लाख नए किसानों को ऋण प्रदान किए। इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली द्वारा नव-वित्तपोषित किसानों की कुल संख्या 90.92 लाख हो गई है। मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार वित्तपोषित किए गए कृषिय ऋणों की कुल संख्या 4.82 करोड़ थी। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 2010-11 के दौरान सितम्बर 2010 तक कृषि क्षेत्र को कुल ऋण वितरण 1,94,392.63 करोड़ रुपए का था, जो 3,75,000 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य का 52 प्रतिशत है (सारणी 5.8)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)

5.29 किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को ऋण के वितरण हेतु व्यापक रूप से स्वीकृत प्रणाली बन गई है। इस योजना में अब दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे के उधारकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से, नाबार्ड ने बैंकों को अपनी पसंद की कोई भी बीमा कम्पनी का विकल्प चुनने का विवेकाधिकार प्रदान किया है। बैंकों को बीमा कंपनियों से वार्ता करते समय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों, विशेषकर प्रीमियम की हिस्सेदारी का फार्मूला और कवरेज को ध्यान में रखना होगा।

5.30 किसान क्रेडिट कार्ड को अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से, नाबार्ड ने केसीसी योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके इसमें कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों हेतु सावधि ऋणों को शामिल किया है, जिसमें फसल ऋण सीमा मुहैया कराने की

बॉक्स 1.1 : ''निजी ऋणदाताओं से ऋण लेने वाले ऋण माफी योजना के अंतर्गत असम्मिलित किसानों की बड़ी संख्या के मुद्दे की जांच करने'' के लिए गठित कृत्तिक बल की अनुशंसाएं

i. वित्तीय साक्षरता तथा परामर्श अभियान शुरू किए जाएं ताकि किसानों में केसीसी संबंधी जागरूकता को बढ़ाया जा सके।

ii. बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने ग्रामीण शाखा स्टॉफ को केसीसी के बारे में शिक्षित करें।

iii. बैंक अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए बैंकिंग संवाददाताओं के रूप में किसान सहकारिताओं तथा एसएचजी फेडरेशनों का प्रयोग करें।

iv. बैंक शाखाओं के कमांड क्षेत्रों तथा नए क्षेत्रों में नए कृषकों का सम्मिलन नियमित अंतरालों पर ग्राम सभाओं तथा किसान क्रेडिट कैम्पों के अर्थपूर्ण तथा प्रयोजनपूर्ण संचालन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

v. जिन बैंककारों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है कि वे प्रति कृषक एक लाख रुपए तक की राशि बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के उधार दे दें, वे ऐसी सलाह का काश्तकार कृषकों, शेयर क्रॉपरों तथा मौखिक पट्टेधारकों के संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के माध्यम से व्यापक अनुकरण करे।

vi. राज्य सरकारें कृषीय ऋण समझौतों को स्टॉम्प शुल्क से छूट दें।

vii. केसीसी को प्रौद्योगिकीय रूप से समर्थकारी बनाया जाए जिसमें स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) पर बिक्री स्थलों (पीओएस) पर तथा हस्तधारित मशीनों के जरिए समर्थित आहरण एवं सम्प्रेषण वाले स्मार्ट कार्ड में रूपांतरण किया जाना शामिल हैं; बैंकों द्वारा यथाशीघ्र कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है ताकि कृषक प्रौद्योगिकी से लाभान्वित हो सकें।

viii. केसीसीसी की सीमा एक पूर्ण वर्ष के लिए कृषक की कुल ऋण आवश्यकताओं के बैंककार आकलन के आधार पर पांच वर्षों के लिए नियत की जाए तथा इस सीमा को जब और जैसे आवश्यक हो, खरीफ तथा रबी के लिए या कृषि के चरणों के लिए किन्हीं उप-सीमाओं के बिना उधारकर्ता द्वारा प्रयुक्त किया जाए।

ix. केसीसी के तहत प्रत्येक आहरण को बारह महीने में परिसमाप्त किया जाना अनुमत किया जाए तथा इसमें किसी भी समय खाते में नामे अधिशेष को शून्य पर लाया जाना आवश्यक नहीं होगा।

x. क्रेडिट सीमा का स्वचालित नवीकरण तथा मुद्रास्फीति दर के साथ संबद्ध वार्षिक वृद्धि की जानी चाहिए।

सारणी 5.8 : कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों को संस्थागत ऋण का प्रवाह

(करोड़ ₹)

क्र॰सं॰	एजेन्सी	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
1.	सहकारी बैंक $	9,786	42,480	48,258	36,762	63,492	29,450
	प्रतिशत हिस्सा	**22**	**18**	19	**13**	**17**	**15**
2.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	15,223	20,435	25,312	26,724	35218	19141
	प्रतिशत हिस्सा	**8**	**9**	**10**	**9**	**9**	**10**
3.	वाणिज्यिक बैंक	1,25,477	1,66,486	1,81,088	2,28,951	2,85,799	14,5801
	प्रतिशत हिस्सा	**70**	**73**	**71**	**78**	**74**	**75**
	योग	**1,80,486**	**2,29,401**	**2,54,658**	**2,92,437**	**3,84,514**	**1,94,392**

स्रोत : नाबार्ड

टिप्पणी : ' 30 सितम्बर, 2010 तक। '' अन्य सहित

विद्यमान सीमा के अतिरिक्त उपभोग की जरूरतों के लिए वाजिब घटक शामिल है। अधिसूचित फसलों के लिए के सी सी योजना के अंतर्गत संवितरित फसल ऋणों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। इस योजना को प्राकृतिक आपदाओं, कीटाणुओं के हमलों आदि से होने वाली फसल की हानि से किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था।

इस प्रकार केसीसी एक व्यापक ऋण उत्पाद के लिए एक एकल विंडो बन गया है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री उमेश चन्द्र सारंगी की अध्यक्षता में गठित ''निजी ऋणदाताओं से ऋण लेने वाले ऋण माफी योजना के अंतर्गत असम्मिलित किसानों की बड़ी संख्या के मुद्दे की जांच करने हेतु कृत्तिक बल'' की प्रमुख नीतिगत अनुशंसाएं बाक्स 1.1 में दी गई है।

5.31 बैंकिंग प्रणाली ने 31 अगस्त, 2010 तक 955.77 लाख केसीसी जारी किए हैं जिनमें शामिल कुल स्वीकृत ऋण सीमा 4,37,241 करोड़ रुपए की है। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा निर्गत कार्डों की कुल संख्या में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 44.4 प्रतिशत है जिसके पश्चात् सहकारी बैंकों (40.9 प्रतिशत) तथा आरआरबी (14.7 प्रतिशत) का स्थान है। निर्गत केसीसी का वर्षवार तथा अभिकरणवार ब्यौरा सारणी 5.9 में दिया गया है।

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना 2008

5.32 नाबार्ड सहकारी ऋण संस्थाओं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल अभिकरण है। बैंक ने ऋण माफी के लिए 24,994.89 करोड़ रुपए की तथा ऋण राहत दावों के लिए 3005.11 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की है। एडीडब्ल्यूडीआर के तहत निर्मुक्तियों का एजेंसीवार ब्यौरा सारणी 5.10 में दिया गया है।

सारणी 5.10 : एडीडब्ल्यूडीआर के तहत निर्मुक्त

(₹ करोड)

एजेंसी	ऋण माफी	ऋण राहत	जोड़
राज्य सहकारी बैंक	15,540.63	2062.02	17,602.65
एससीएआरडीबी	3409.06	248.41	3657.47
आरआरबी	6045.19	694.68	6739.87
जोड़	**24,994.89**	**3005.11**	**28,000.00**

टिप्पणी : एससीएआरडीबी-राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन

5.33 वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलन पत्र कार्य निष्पादन में सापेक्षतया धीमी वृद्धि दर्शाता है जो मुख्यत: धीमी जमाराशि वृद्धि के कारण था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभों में वृद्धि भी वर्ष 2009-10 में विगत वर्ष की अपेक्षा निम्नतर थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए अनुपात में वृद्धि हुई थी। यद्यपि आस्ति गुणता बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक चिंता के रूप में उभरी, इस की पूंजी पर्याप्तता वर्ष के दौरान पर्याप्त मजबूत रही जिससे किन्हीं भावी हानियों के लिए अवलम्ब उपलब्ध हुआ।

5.34 वर्ष 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समेकित तुलन पत्र में समग्र वृद्धि 15.0 प्रतिशत थी जो विगत वर्ष के दौरान 21.1 प्रतिशत की वृद्धि से निम्नतर थी। इसके अतिरिक्त वृद्धि में गिरावट सभी बैंक समूहों में परिलक्षित होती है जिनमें उल्लेखनीय अपवाद नए निजी क्षेत्रक बैंक हैं। विभिन्न बैंक समूहों के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यशील परिणाम सारणी 5.11 में दिए गए हैं।

5.35 बैंकों के तुलनपत्रों की वृद्धि के धीमेपन में योगदान देने वाला मुख्य कारक जमा राशियां हैं।अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों में वृद्धि वर्ष 2008-09 में 22.4 प्रतिशत से घट

सारणी 5.9 : एजेन्सी वार निर्गमित किसान क्रेडिट कार्ड और स्वीकृत राशि

(31 अगस्त, 2010 की स्थिति के अनुसार)

एजेन्सी	निर्गमित कार्ड (लाख)					स्वीकृत राशि (करोड ₹)				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	कुल*	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	कुल*
सहकारी बैंक	20.91	13.44	17.43	12.31	391.19	19,991	8428	7606	5164	1,45,758
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	17.73	14.15	19.49	6.73	140.94	8783	5648	10,132	4329	58,293
वाणिज्यिक बैंक	46.06	58.34	53.13	—	423.64	59,530	39,009	**39,940**	—	2,33,190
कुल	**84.70**	**85.93**	**90.05**	**19.04**	**955.77**	**88,264**	**53,085**	**57,678**	**9493**	**4,37,241**

स्रोत : नाबार्ड

टिप्पणियां : *स्कीम की शुरुआत में (1998) —: अनुपलब्ध

सारणी 5.11 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यचालन परिणाम

मदें	सरकारी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
					(₹ Crore)					
क. आय	3,15,554	3,54,876	45,216	36,341	21,572	23,649	81,360	79,405	4,63,702	4,94,271
i) ब्याज आय	2,73,088	3,06,488	30,322	26,390	18,790	20,565	66,282	62,310	3,88,482	4,15,752
ii) अन्य आय	42,466	48,388	14,894	9951	2782	3084	15,078	17,095	75,220	78,519
ख. व्यय	2,81,182	3,15,619	37,706	31,600	19,163	21,337	72,901	68,606	4,10,952	4,37,162
i) व्यय किया गया ब्याज	1,93,447	2,11,940	12,819	8938	12,834	14,076	44,123	37,130	2,63,223	2,72,084
ii) मध्यवर्ती लागत (प्रचालन व्यय)	55,504	65,991	12,298	11,102	3939	4715	17,840	17,960	89,581	99,769
iii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	32,231	37,688	12,589	11,560	2390	2545	10,937	13,516	58,147	65,310
ग. परिचालन लाभ (क i-ख ii)	66,604	76,945	20,098	16,301	4799	4858	19,396	24,315	1,10,897	1,22,419
घ. निवल लाभ (क-ख)	34,373	39,257	7510	4741	2409	2312	8459	10,799	52,750	57,109
ङ. निवल ब्याज आय (विस्तार) (क i-ख i)	79,642	94,548	17,503	17,452	5956	6489	22,158	25,180	1,25,258	1,43,669
च. कुल परिसम्पत्तियां	37,65,757	44,41,114	4,45,129	4,33,219	2,32,292	2,68,977	7,95,464	8,81,831	52,38,642	60,25,141
छ. निवल आय (क ii+ङ) कुल आस्ति के प्रतिशत के रूप में	1,22,108	1,42,936	32,397	27,403	8738	9573	37,236	42,275	2,00,479	2,22,188
क. आय	8.38	7.99	10.16	8.39	9.29	8.79	10.23	9.00	8.85	8.20
i) ब्याज आय	7.25	6.90	6.81	6.09	8.09	7.65	8.33	7.07	7.42	6.90
ii) अन्य आय	1.13	1.09	3.35	2.30	1.20	1.15	1.90	1.94	1.44	1.30
ख. व्यय	7.47	7.11	8.47	7.29	8.25	7.93	9.16	7.78	7.84	7.26
i) व्यय किया गया ब्याज	5.14	4.77	2.88	2.06	5.52	5.23	5.55	4.21	5.02	4.52
ii) मध्यवर्ती लागत (प्रचालन व्यय)	1.47	1.49	2.76	2.56	1.70	1.75	2.24	2.04	1.71	1.66
iii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.86	0.85	2.83	2.67	1.03	0.95	1.37	1.53	1.11	1.08
ग. परिचालन लाभ (क-ख i-ख iii)	1.77	1.73	4.52	3.76	2.07	1.81	2.44	2.76	2.12	2.03
घ. निवल लाभ (क-ख)	0.91	0.88	1.69	1.09	1.04	0.86	1.06	1.22	1.01	0.95
ङ निवल ब्याज आय (विस्तार) (क i-ख i)	2.11	2.13	3.93	4.03	2.56	2.41	2.79	2.86	2.39	2.38

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

कर वर्ष 2009-10 में 17.0 प्रतिशत रह गई। इसके अतिरिक्त, जमाराशि वृद्धि में धीमेपन द्वारा बाधित ऋण वृद्धि वर्ष 2008-09 में 21.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009-10 में 16.6 प्रतिशत आंकी गई। ऋण वृद्धि में गिरावट वैश्विक वित्तीय अस्त व्यस्तता के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की समग्र मंदी के कारण प्रबलित हो गयी। तथापि, हालांकि बैंक ऋण वृद्धि में वर्षानुवर्ष आधार पर धीमापन परिलक्षित हुआ, सामान्य रूप से बैंक ऋण तथा विशेष रूप से उद्योग को ऋण ने अक्तूबर 2009 से सुधार के सुस्पष्ट चिन्ह दर्शाए जब आर्थिक सुधार अधिक व्यापकाधारित हो गया था। मार्च 2010 के अंत में ऋण-जमाराशि अनुपात 73.6 प्रतिशत था जो मार्चान्त 2009 के अनुपात से मामूली सा कम है। हालिया विगत में परिलक्षित अधोमुखी रूझान की तुलना में वर्ष 2009-10 में चालू तथा बचत खातों के अनुपात में वृद्धि हुई थी।

5.36 वर्षानुवर्ष आधार पर वर्ष 2009-10 में खाद्य भिन्न बैंक ऋण के मुख्य चालक उद्योग और कृषि थे। वर्ष के दौरान वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि में तथा साथ ही सेवा क्षेत्र को ऋण में भी पर्याप्त धीमापन आया।

5.37 बैंकों के निवेश में वृद्धि वर्ष 2008-09 में 23.1 प्रतिशत की तुलना में ह्रासित होकर वर्ष 2009-10 में 18.6 प्रतिशत रह गई। साथ ही बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का प्रतिशत योगदान वर्ष 2008-09 में वृद्धि के विपरीत वर्ष 2009-10 में गिर गया जो मुख्यत: प्रवृत्त वैश्विक अनिश्चितताओं की पृष्ठभूमि में

निम्न जोखिम प्रपत्रों में अपनी निधियां नियोजित करने की बैंकों की वरीयता के कारण था। परिणामत: बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर (सांविधिक नकदी अनुपात) में निवेशों के प्रतिशत योगदान ने 2009-10 में वृद्धि दर्शाई जिसका मुख्य कारण म्यूचुअल फंडों के निवेश में वृद्धि का होना था।

5.38 तुलन पत्र में वृद्धि के धीमेपन के समरूप ही, वर्ष 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय निष्पादन में संतुलन आया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आय तथा व्यय, दोनों में वृद्धि मंद हो गई जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन तथा निवल लाभों की वृद्धि के ह्रास में परिणामी हुई। लाभप्रदता के प्रत्येक संकेतक ने भी वर्ष 2009-10 में गिरावट दर्शाई। लाभप्रदता का सर्वाधिक विशिष्ट संकेतक, आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) वर्ष 2008-09 में 1.13 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2009-10 में 1.05 प्रतिशत रह गया। इसके अतिरिक्त, इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) भी वर्ष 2008-09 में 15.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009-10 में 14.3 प्रतिशत रह गया।

5.39 2008-09 के दौरान निष्क्रिय रहने के पश्चात् बैंकों ने 2009-10 में संसाधन जुटाने के लिए पूंजी बाजार का सहारा लेना शुरू कर दिया। बैंकों द्वारा पूंजी बाजार से जुटाए गए संसाधन 2009-10 में सार्वजनिक निर्गमों और निजी नियोजन, दोनों के रूप में थे।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

5.40 भारतीय बैंकिंग प्रणाली की बढ़ती हुई वित्तीय सुदृढ़ता का एक प्रमुख संकेतक जोखिम भारित परिसंपतियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में आया सुधार था। बेसल I ढांचे के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सीआरएआर पूर्ववर्ती वर्ष में 13.2 प्रतिशत से सुधरकर मार्चान्त 2010 में 13.6 प्रतिशत हो गया, और इस प्रकार 9.0 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम स्तर से महत्त्वपूर्ण रूप से अधिक बना रहा। चूंकि, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर भारत के सभी वाणिज्यिक बैंक 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार बेसल-II अनुपालक बन गए थे, इस ढांचे के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता प्रास्थिति पर नज़र डालना भी आवश्यक है। बेसल II ढांचे के अंतर्गत भी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सीआरएआर ने 2009-10 में वृद्धि दर्शाई; सीआरएआर मार्चान्त 2009 में 14.0 प्रतिशत से सुधरकर मार्चान्त 2010 तक 14.5 प्रतिशत हो गया। बैंक समूह स्तर पर, प्रत्येक बैंक समूह ने बेसल II ढांचे के अंतर्गत औसतन 13 प्रतिशत से अधिक का सीआरएआर दर्शाया।

बैंकिंग क्षेत्र की अनर्जक परिसंपत्तियां

5.41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियां 2009-10 में चिंता के एक मुख्य विषय के रूप में उभरीं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक परिसंपत्तियों में 2008-09 के दौरान कोई बदलाव नहीं आया था, जब वित्तीय संकट अधिक गहन हो गया था। तथापि, 2009-10 में सकल एनपीए अनुपात 2008-09 में 2.25 प्रतिशत से बढ़कर 2.39 प्रतिशत हो गया। 2009-10 में वसूली गई और बट्टे खाते डाली गई कुल राशि 49,210 करोड़ रुपए थी। यह 2009-10 के दौरान जुड़ी नई अनर्जक परिसंपत्तियों से कम थी, जिनकी राशि 65,674 करोड़ रुपए थी। क्षेत्रीय वितरण ने 2009-10 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अनर्जक परिसंपत्तियों का वर्धनकारी अनुपात दर्शाया। अनर्जक ऋणों संबंधी कार्रवाई करने के लिए बैंकों के पास उपलब्ध वसूली के विभिन्न चैनलों में से, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम कहीं अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण चैनल रहा है। तथापि, 2009-10 में, इस चैनल के अंतर्गत समाहित अनर्जक परिसंपत्तियों की कुल राशि के प्रतिशत के रूप में सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली गई अनर्जक परिसंपत्तियों की राशि में गिरावट आई।

5.42 बैंक समूहों में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात पिछले वर्ष के 1.97 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 2.19 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2009-10 में एनपीए अनुपात में सर्वाधिक उल्लेखनीय वृद्धि विदेशी बैंकों के मामले में देखी जा सकती है। विदेशी बैंकों का एनपीए अनुपात 2008-09 में 3.80 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 4.29 प्रतिशत हो गया।

बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

5.43 भारत में बैंक न केवल अपनी स्वयं की आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए बल्कि अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं को बढ़ाने के लिए भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी के कुशल प्रयोग ने, वृहत्तर ग्राहक आधार के अनुरूप बैंकों की बढ़ी हुई लेनदेन प्रमात्राओं के सटीक और समयबद्ध प्रबंधन को सुकर बनाया है। सरकारी क्षेत्र की बैंक शाखाओं की कुल संख्या में से मार्चान्त 2010 तक 97.8 प्रतिशत शाखाएं पूर्णतया कम्पयूटरीकृत थीं।

5.44 एटीएम, विशेषकर ऑफ साईट एटीएम, ग्राहकों को किसी भी समय नकदी आहरण के एक साधन की पेशकश करने में बैंक शाखाओं के विकल्प के रूप में कार्य करते हैं। एटीएमों की संख्या में वृद्धि, जो हालिया वर्षों में सामान्यतया स्थिर रूप से बढ़ रही है, 2009-10 में 37.8 प्रतिशत अवलोकित की गई। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ऑफ साईट एटीएमों में वृद्धि भी वर्ष के दौरान 44.6 प्रतिशत पर तुलनीय रूप से उच्च थी। मार्चान्त 2010 तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुल एटीएमों के सापेक्ष ऑफ साईट एटीएमों का प्रतिशत 45.7 प्रतिशत पर रहा।

5.45 2009-10 में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय घटनाक्रम सीबीएस को कार्यान्वित करने वाली सरकारी क्षेत्रक बैंक शाखाओं की प्रतिशतता में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि थी, जो मार्चान्त 2009 में 79.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्चान्त 2010 में 90 प्रतिशत हो गई। सीबीएस के अंतर्गत शाखाओं की प्रतिशतता राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में एसबीआई समूह के लिए कहीं अधिक थी।

5.46 सामान्य रूप से कम्पयूटरीकरण और विशेष रूप से सीबीएस के लगभग संपूर्ति के कगार पर पहुंचने से, यह आवश्यक है कि इस प्रौद्योगिकीय प्रोन्नति को सीबीएस से परे भी ऐसे क्षेत्रों का अवलोकन करने के लिए उत्तोलित किया जाए, जो न केवल ग्राहकों को उत्कृष्ट और कारगर सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं बल्कि सूचना को प्रभावपूर्ण रूप से सृजित करने और उसका प्रबंधन करने में भी सहायक होंगे। सूचना प्रबंधन के दूसरे पहलू के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित तरीके से बैंकों से आंकड़े प्राप्त करने की प्रणाली जांचाधीन है।

5.47 इसके अलावा, बैंकिंग प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। ये, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के सुप्रवाहीकरण, केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण के सुदृढ़ीकरण, ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम), और आईटी अभिशासन के रूप में बैक ऑफिस प्रबंधन में और अधिक सुधार लाने से संबंधित हैं। बैक ऑफिस प्रौद्योगिकीय प्रगति बैंक के संसाधनों को फ्रंट ऑफिस प्रबंधन की ओर विपथित करने में सहायता करेगी, जिससे उनकी सेवाओं का ग्राहक संकेन्द्रण बढ़ेगा और अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय अंतर्वेधन और समावेशन में सहायता मिलेगी।

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफआई)

वित्तीय संस्थाएं (एफआई)

5.48 मार्चान्त 2010 की स्थिति के अनुसार, चार संस्थाओं, नामत: भारत का आयात निर्यात बैंक (एक्ज़िम बैंक), नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को अखिल-भारतीय वित्तीय संस्थाओं के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता था। 2009-10 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी सुधार के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी)/एनबीएफसी/अति लघु-वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और निर्यातकों को आगे उधार देने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के लिए शुरू किए गए नकदी सहायता उपायों को वापस लेने हेतु निम्नलिखित अनुदेश जारी किए:-

(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 के संगत प्रावधानों के तहत सिडबी, एक्जिम बैंक और एनएचबी के लिए क्रमश: 7,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए और 4,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा, जो दिसंबर, 2008 में संस्वीकृत की गई थी, 31 मार्च 2010 को कारोबार बंद होने के समय से समाप्त कर दी गयी है।

(ii) जुटाए गए समग्र संसाधनों जिनमें सिडबी, एनएचबी और एक्ज़िम बैंक द्वारा 'अम्ब्रेला सीमा'' के अंतर्गत जुटाई गई निधियां भी शामिल हैं, पर उच्चतम सीमा को 8 दिसम्बर, 2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन बढ़ा दिया गया। पुनरीक्षा करने पर, वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधन जुटाने के मानकों में चयनित वित्तीय संस्थाओं (सिडबी, एनएचबी और एक्ज़िम बैंक) को दिसंबर 2008 में अनुमत छूट पुनर्वित सुविधा के साथ समाप्त कर दी गयी है। तदनुसार, वित्तीय संस्थाओं के बकाया उधार सामान्य विवेकसम्मत सीमा के भीतर ही होने चाहिए अर्थात् 31 मार्च, 2010 से सकल संसाधनों पर उच्चतम सीमा को निवल स्वमित्वाधीन निधि (एनओएफ) का 10 गुना और अम्ब्रेला सीमा को एनओएफ का एक गुना होना चाहिए।

5.49 बैंकों को जारी संघ व्यवस्थाओं/बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधार देने, अग्रिमों के लिए कवरेज हेतु प्रावधानन, चल प्रावधानों के सृजन और उपयोग संबंधी विवेकशील मानक, लेखा टिप्पणियों में अतिरिक्त प्रकटन, और आय स्वीकरण संबंधी विवेकशील मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों से संबंधित प्रावधान-एनपीए स्तरों का परिकलन और क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं से संबंधित दिशानिर्देश चयनित वित्तीय संस्थाओं के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित प्रयोज्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंको को निर्गत अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानक/धन-शोधन रोधी मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण से जूझना (सीएफटी) और परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों के विक्रय संबंधी दिशानिर्देश चयनित वित्तीय संस्थाओं के लिए भी प्रयोज्य हैं।

5.50 वर्ष 2009-10 के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा जुटाए गए संसाधन पिछले वर्ष के दौरान जुटाए गए संसाधनों से कहीं अधिक थे। जहां पिछले वर्ष की तुलना में 2009-10 के दौरान जुटाए गए दीर्घावधिक संसाधनों में तीव्र वृद्धि देखी गई, जुटाए गए अल्पावधिक और विदेशी मुद्रा संसाधन सीमान्तिक रूप से बढ़े। सिडबी ने सबसे अधिक राशि के संसाधन जुटाए, जिसके बाद एक्ज़िम बैंक और एनएचबी का स्थान रहा। (सारणी 5.12)

5.51 वित्तीय संस्थाओं के कुल स्रोत/निधियों का परिनियोजन 2009-10 के दौरान साधारण रूप से 1.8 प्रतिशत बढ़कर 3,02,610 करोड़ रुपए हो गया। वित्तीय संस्थाओं की निधियों का एक मुख्य भाग आंतरिक रूप से (51.8 प्रतिशत) जुटाया गया, जिसके बाद बाह्य स्रोत (41.9 प्रतिशत) है; 'अन्य स्रोतों' का हिस्सा केवल लघु ही था। आंतरिक स्रोतों से जुटाई गई निधियां 18.9 प्रतिशत कम हो गईं, जबकि बाह्य स्रोतों से जुटाई गई निधियां 2009-10 में 38.8 प्रतिशत बढ़ गई जो मुख्यतया 2009-10 के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजारों में सुधार के कारण हुआ। जुटाई गई निधियों के एक बड़े भाग का इस्तेमाल नए परिनियोजनों (56.8 प्रतिशत) के लिए किया गया, जिसके बाद पिछले उधारों का पुनर्भुगतान (38.0 प्रतिशत) का स्थान है। अन्य परिनियोजन जिनमें ब्याज अदायगियां भी शामिल हैं, वित्तीय

सारणी 5.12 : वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

(₹ करोड़)

वित्तीय संस्थाएं	जुटाए गए कुल संसाधन									
	दीर्घावधिक		अल्पावधिक		विदेशी मुद्रा		जोड़		कुल बकाया (मार्चान्त की स्थिति के अनुसार)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2009	2010
एक्ज़िम बैंक	3197	8150	8905	5052	3800	5193	15,902	18,395	37,202	40,509
नाबार्ड	4252	16	3494	12,330	-	-	7746	12,346	26,867	24,922
एनएचबी	3124	7518	16,881	10,306	-	-	20,005	17,824	16,503	10,598
सिडबी	5625	13,253	8811	11,500	1361	987	15,797	25,740	24,487	30,186
जोड़	**16,198**	**28,937**	**38,091**	**39,188**	**5161**	**6,180**	**59,450**	**74,305**	**1,05,059**	**1,06,215**

स्रोत : संबद्ध विदेशी संस्थाएं

टिप्पणी : (i) शून्य/नगण्य (ii) दीर्घावधिक रुपए संसाधनों में बांडों/डिबेंचरों के रूप में उधार शामिल हैं; और अल्पावधिक संसाधनों में वाणिज्यिक दस्तावेज, सावधि जमा, जमाखातों के प्रमाणपत्र और सावधि राशि से उधार लेना शामिल है।

संस्थाओं की निधियों का केवल एक छोटा भाग बने। पिछले उधारों के पुनर्भुगतान में 103.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष के दौरान नए परिनियोजनों में 11.7 प्रतिशत की कमी देखी गई (सारणी 5.13)।

गैर-बैंक वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

5.52 एनबीएफसी समग्र रूप से कुल वित्तीय प्रणाली की 11.2 प्रतिशत परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। वित्तीय समावेशन को दिए जाने वाले वर्धित महत्व के साथ, एनबीएफसी को महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती माना जाने लगा है विशेषकर लघु क्षेत्र और खुदरा क्षेत्रों के लिए। इस आधार पर कि क्या एनबीएफसी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करती हैं या नहीं, इनकी दो स्थूल श्रेणियां हैं, नामत: जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी)।

5.33 भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की कुल संख्या, जिसमें एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी शामिल हैं, जून 2009 के अंत में 12,740 से घटकर जून 2010 के अंत में 12,630 हो गई। अनेक एनबीएफसी-डी के जमाराशि लेने वाले कार्यकलाप को छोड़ने के कारण इसी अवधि के दौरान एनबीएफस-डी की संख्या 336 से घटकर 308 हो गई, जबकि जमाराशि न लेने वाली सर्वांगी महत्वपूर्ण एनबीएफसी (100 करोड़ और उससे अधिक के परिसंपत्ति मूल्य वाले एनबीएफसी-एनडी-एसआई) की संख्या इसी अवधि के दौरान 234 से बढ़कर 260 हो गई। एनबीएफसी-डी श्रेणी के अंतर्गत, दो अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां हैं। (सारणी 5.14).

सारणी 5.13 : वित्तीय संस्थाओं के स्रोतों का पैटर्न और निधियों का परिनियोजन*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	2008-09	2009-10	प्रतिशत भिन्नता 2009-10 में
निधियों के स्रोत (i+ii+iii)	2,97,296	3,02,610	1.8
	(100.0)	(100.0)	
(i) आंतरिक	1,93,294	1,56,733	-18.9
	(65.0)	(51.8)	
(ii) बाह्य	91,314	1,26,813	38.8
	(30.7)	(41.9)	
(iii) अन्य**	12,688	19,065	50.3
	(4.3)	(6.3)	
निधियों का परिनियोजन (i+ii+iii)	2,97,296	3,02,610	1.8
	(100.0)	(100.0)	
(i) नया परिनियोजन	1,94,711	1,71,922	-11.7
	(65.5)	(56.8)	
(ii) पिछले उधारों का पुनर्भुगतान	56,592	1,15,015	103.2
	(19.0)	(38.0)	
(iii) अन्य परिनियोजन	45,993	15,673	-65.9
	(15.5)	(5.2)	
जिनमें से			
ब्याज अदायगियां	8809	16,561	88.0
	(3.0)	(5.5)	

स्रोत: संबंधित एफआई

टिप्पणियां : * एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी

****इसमें बैंकों के पास नकदी तथा शेष और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास शेष शामिल हैं। लघु कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि का प्रतिशत है।**

सारणी 5.14 : भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या

जून-अंत	पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या	एनबी एफसी-डी की संख्या	एनबीएफसी एनडी एसआई की संख्या
2005	13,261	507	-
2006	13,014	428	149
2007	12,968	401	173
2008	12,809	364	189
2009	12,740	336	234
2010	12,630	308	260

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

5.54 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमाराशियों के प्रति रिपोर्टिंग एनबीएफसी की जमाराशियों का अनुपात मार्चान्त, 2009 में 0.53 प्रतिशत से गिरकर मार्चान्त 2010 में 0.36 प्रतिशत रह गया, जो मुख्यतया रिपोर्टिंग एनबीएफसी की जमाराशियों में कमी के कारण था।

5.55 एनबीएफसी-डी (जिनमें आरएनबीसी शामिल हैं) की कुल परिसंपत्तियां पूर्ववर्ती वर्ष में 97,408 करोड़ से बढ़कर 2009-10 के दौरान 1,09,324 करोड़ रुपए हो गईं। एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी द्वारा मिलाकर धारित सार्वजनिक जमाराशियों में गिरावट दर्ज की गई जो मार्चान्त 2009 में 21,566 करोड़ रुपए से गिरकर मार्चान्त 2010 में 17,247 करोड़ रुपए रह गईं। निवल स्वामित्वाधीन निधियों (एनओएफ) ने 2009-10 के दौरान 18.8 प्रतिशत की संवृद्धि दर्शाई तथा इनकी राशि 16,178 करोड़ पर रही।

5.56 एनबीएफसी-डी (आरएनबीसी को छोड़कर) की कुल आस्तियों/देयताओं में 2008-09 के दौरान 3.4 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 के दौरान 21.5 प्रतिशत की दर से विस्तार हुआ। उधार, जो एनबीएफसी-डी के लिए निधियों का प्रमुख स्रोत हैं, इस वर्ष के दौरान 23.6 प्रतिशत बढ़े, जबकि मुख्यतया तीन एनबीएफसी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों में वृद्धि के कारण सार्वजनिक जमाराशियों में 38.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिसंपत्ति पक्ष पर, मुख्य संघटक-किराया खरीद परिसंपत्तियों, और ऋण तथा अग्रिमों ने पिछले वर्ष के दौरान 6.8 प्रतिशत और 14.7 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 के दौरान क्रमशः 7.6 प्रतिशत और 42.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। एनबीएफसी-डी के कुल निवेश मुख्यतया एसएलआर-भिन्न निवेशों में वृद्धि के चलते 2009-10 के दौरान 23.3 प्रतिशत बढ़ गए।

5.57 एनबीएफसी-डी में, परिसंपत्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) का कुल परिसंपत्तियों/देनदारियों में सबसे बड़ा हिस्सा (74.5 प्रतिशत) था जबकि मार्चांत 2010 में ऋण कंपनियों का हिस्सा 25.5 प्रतिशत था। एएफसी की परिसंपत्तियों/देनदारियों में वृद्धि का मुख्य कारण एनबीएसी का पुनर्वर्गीकरण था, जो दिसंबर, 2006 में शुरु हुआ। सभी एनबीएफसी-डी द्वारा धारित कुल जमाराशियों में से, आस्ति वित्त कंपनियों के पास 83.2 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा धारित था, जिसके बहुत पीछे ऋण कंपनियां थीं, जिनका हिस्सा 16.8 प्रतिशत था।

5.58 एनबीएफसी-डी का परिसंपत्ति आकार 25 लाख से कम से लेकर 500 करोड़ से अधिक के बीच महत्वपूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न है। परिसंपत्ति-धारिता पैटर्न विषम बना रहा, जिसमें मार्च अंत 2010 में सभी एनबीएफसी-डी की कुल परिसंपत्तियों का 97.5 प्रतिशत धारण करने वाली '500 करोड़ रुपए से अधिक' के परिसंपत्ति आकार वाली 15 एनबीएफसी-डी थी जबकि शेष 213 कम्पनियों की धारिता लगभग 2.5 प्रतिशत थी।

5.59 एनबीएफसी-डी के वित्तीय निष्पादन में साधारण ह्रास परिलक्षित हुआ जैसाकि 2009-10 के दौरान उनके प्रचालन लाभों में कमी द्वारा प्रतिबिंबित होता है। यह कमी मुख्यतया इन संस्थाओं की आय की तुलना में व्यय में अधिक वृद्धि के कारण थी। कर प्रावधान में सीमान्तिक वृद्धि के साथ प्रचालनात्मक लाभों में गिरावट 2009-10 में निवल लाभों में गिरावट में परिणामित हुई। आय के प्रति लागत का अनुपात 2008-09 में 74 प्रतिशत से ह्रासित होकर 2009-10 में 81.8 प्रतिशत रह गया। 97.4 प्रतिशत पर ब्याज भिन्न लागत ने 2009-10 के दौरान एनबीएफसी-डी की कुल लागत में प्रबल हिस्सों का संघटन जारी रखा, जबकि ब्याज लागतों का हिस्सा अपेक्षकृत छोटा रहा।

5.60 विगत हाल में अवलोकित रूझान को जारी रखते हुए एनबीएफसी-डी के सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए अनुपात में गिरावट आई। वर्गीकरण-वार, एएफसी और ऋण कंपनियों के सकल एनपीए और निवल एनपीए अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में 2009-10 के दौरान कम हो गए। एनपीए की विभिन्न श्रेणियों (अवमानक, संदेहास्पद और घाटा) में यथा प्रतिबिंबित एएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता सुस्पष्ट सुधार दर्शाती है।

5.61 जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के प्रति पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) मानकों को 1998 में एनबीएफसी-डी पर प्रयोज्य किया गया था, जिनके द्वारा प्रत्येक एनबीएफसी-डी से यह अपेक्षित है कि वे टियर I और टियर II पूंजी समाहित न्यूनतम पूंजी को अपनी सकल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के कम से कम 12 प्रतिशत (दर निर्धारित न की गई जमाराशियां लेने वाली एनबीएफसी के मामले में 15 प्रतिशत) पर रखें। मार्चान्त 2009 में 225 में से 221 की तुलना में मार्चान्त 2010 की स्थिति के अनुसार, 216 में से 212 एनबीएफसी-डी का सीआरएआर 12 प्रतिशत से अधिक था। यह उल्लेखनीय कि एनबीएफसी क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत प्रक्रिया से गुजर रहा है, जहां कमजोर एनबीएफसी अधिक मज़बूत क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए क्रमिक रूप से निकलते जा रहे हैं।

एनबीएफसी-एनडी-एसआई की रूपरेखा

5.62 एनबीएफसी-एनडी-एसआई का तुलन पत्र मार्चान्त 2009 में 4,82,907 करोड़ रुपए की तुलना में मार्चान्त 2010 में 5,63,476 करोड़ रुपए पर रहा, और इस प्रकार उसने 2009-10

के दौरान 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एनबीएफसी- एनडी-एसआई के तुलन पत्र आकार में इस महत्वपूर्ण वृद्धि का श्रेय स्वामित्वाधीन निधियों, डिबेंचरों, बैंक उधारों, वाणिज्यिक दस्तावेज और अन्य देनदारियों में तीव्र वृद्धि को जाता है। स्वामित्वाधीन निधियों (जो कुल देनदारियों के 25.8 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं) में 2009-10 के दौरान 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा कुल उधार (प्रतिभूत और अप्रतिभूत) 19.6 प्रतिशत बढ़कर 3,81,850 करोड़ रुपए हो गए और इन्होंने कुल देयताओं के 67.7 प्रतिशत का निर्माण किया। जून, 2010 को समाप्त हुई अवधि के दौरान, कुल उधारों में 8. 3 प्रतिशत की और वृद्धि होने से ये 4,13,476 करोड़ रुपए हो गए।

5.63 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष में एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा निधियों के परिनियोजन का पैटर्न मोटे तौर पर पिछले वर्ष के दौरान परिलक्षित पैटर्न के अनुरूप ही रहा। मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्रतिभूत ऋणों ने सबसे बड़े हिस्सा (कुल परिसंपत्तियोंका 44.3 प्रतिशत) का संघटन जारी रखा, जिसके बाद अप्रतिभूत ऋण (17.8 प्रतिशत), किराया खरीद परिसंपत्तियां (7.4 प्रतिशत), निवेश (17.4 प्रतिशत), नकद और बैंक शेष (4.5 प्रतिशत), और अन्य परिसंपत्तियों (8.4 प्रतिशत) का स्थान रहा।

5.64 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन में सीमान्तिक सुधार हुआ जैसाकि पिछले वर्ष की तुलना में 2009-10 के दौरान निवल लाभ में 10,897 करोड़ रुपए के वृद्धि में प्रतिबिंबित है। तथापि, कुल परिसंपत्तियों के प्रति उनका निवल लाभ इसी अवधि के दौरान घट गया।

5.65 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के सकल और निवल एनपीए अनुपातों में मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान सीमान्तिक ह्रास हुआ। तथापि, इन अनुपातों ने जून, 2010 को समाप्त तिमाही में कुछ सुधार दर्शाया। इसी प्रकार, मार्च 2009 और मार्च 2010 के बीच हुए निवेशों के मूल्य में और कमी आई।

नीतिगत पहलें

5.66 एनबीएफसी के विनियामक और पर्यवेक्षी ढ़ांचे ने जमाराशियां न लेने वाली सर्वांगी रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) पर विशेष ध्यान के साथ विवेकसम्मत विनियमों पर संकेन्द्रण करना जारी रखा। कालानुक्रम में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम निम्नानुसार हैं:-

(i) एनबीएफसी द्वारा गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, की विनियामक स्वीकृति के बिना विदेशों में निवेश करने की घटनाएं अवलोकित की गई जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियम, 2004 का उल्लंघन है और दंडनीय भी है। तदनुसार, यह दोहराया गया कि वे सभी एनबीएफसी, जो किसी भी प्रकार का विदेशी निवेश करने की इच्छुक हैं, ऐसा निवेश करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग से 'अनापत्ति' प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगी।

(ii) एनबीएफसी-एनडी-एसआई जो प्रधान रूप से अवसंरचना वित्तपोषण में कार्य कर रही हैं, ने भारतीय रिजर्व बैंक को अभ्यावेदन किया था कि अवसंरचना क्षेत्र को क्रेडिट उपलब्ध कराने में उनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अवसंरचना वित्तपोषण करने वाली एनबीएफसी की एक पृथक श्रेणी होनी चाहिए। जैसाकि मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी तिमाही समीक्षा में सुझाव दिया गया था, अवसंरचना वित्त कंपनियों के रूप में एनबीएफसी की एक चौथी श्रेणी शुरू करने का निर्णय लिया गया जो कतिपय मानदंड पूरे करती हों जैसे अवसंरचना ऋणों में अपनी कुल परिसंपत्तियों का न्यूनतम 75 प्रतिशत, 300 करोड़ या उससे अधिक की निवल स्वामित्वाधीन निधियां, क्रिसिल, फिच, केयर, आईसीआरए या किसी अन्य प्रत्यायन दर निर्धारित अभिकरण द्वारा कम से कम 'ए' क्रेडिट दर निर्धारण या उसके समकक्ष, और 15 प्रतिशत का सीआरएआर (10 प्रतिशत की न्यूनतम टीयर I पूंजी के साथ)। ऐसी एनबीएफसी को अन्य अवसंरचना ऋणों की तुलना में व्यष्टि/समूह उधारकर्ताओं को उधार देने के क्रेडिट संकेन्द्रण मानकों से 5 प्रतिशत अधिक की अनुमति दी जाएगी।

(iii) एनबीएफसी-एनडी-एसआई को ब्याज दर सुग्राह्यता संबंधी विवरण (एनबीएस-एएलएम3) विवरण के संबंधित अर्ध वर्ष की समाप्ति के 20 दिन के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। उन्हें यह सलाह भी दी गई कि अर्हक कंपनियां अपनी एएलएम विवरणियां ऑन-लाईन फाइल कर सकती हैं।

(iv) आवास/विकास परियोजनाओं को वित्त प्रदान करते समय, एनबीएफसी को निबंधन और शर्तों के भाग के रूप में यह निर्धारित करने की सलाह दी गई कि:

(क) बिल्डर/विकासक/स्वामी/कंपनी पैम्फलेट विवरणिकाओं में उस निकाय के नाम का प्रकटन करें जिसके पास संपत्ति रेहन रखी गई है।

(ख) बिल्डर/विकासक/स्वामी/कंपनी पैम्फलेट/विवरणिकाओं में यह निर्दिष्ट करें कि वे, यदि अपेक्षित हो, फ्लैटों/संपत्ति के विक्रय के लिए रेहनदार निकाय का अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुमति उपलब्ध कराएंगे। निधियां तब तक निर्मुक्त नहीं की जाएंगी जब तक कि उपर्युक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं की जाती।

(v) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली एनबीएफसी से अपेक्षित है कि वे अर्द्ध-वार्षिक आधार पर अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों

से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें जिनमें यह प्रमाणित किया गया हो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विद्यमान निबंधनों और शर्तों का अनुपालन हो रहा है। एन बी एफ सी को यह सलाह दी गई कि ऐसे प्रमाणपत्र उस अर्ध वर्ष जिससे वह प्रमाणपत्र संबंधित है की समाप्ति से एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

(vi) गैर बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकार अथवा धारित न करने वाली) कम्पनियों के विवेकशील मानक (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 के पैरा 18 के तीसरे परंतुक के अनुसार, एनबीएफसी को सलाह दी गई कि कोई भी एनबीएफसी-एनडी-एसआई, जो प्रत्यक्षतया अथवा अप्रतयक्षतया, सार्वजनिक निधियों का उपयोग नहीं कर रही है, क्रेडिट/निवेश मानकों के संकेन्द्रण के संबंध में निर्धारित उच्चतम सीमाओं में आशोधन के लिए बैंक को आवेदन कर सकती है। एनबीएफसी-एनडी-एसआई गारंटियां भी निर्गमित कर रहीं होंगी और ऐसी गारंटियों के हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक निधियों के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, यह सलाह दी गई कि कोई भी एनबीएफसी-एनडी-एसआई जो प्रत्यक्षतया अथवा अप्रत्यक्षतया सार्वजनिक निधियों का उपयोग नहीं कर रही है अथवा गारंटियां जारी नहीं कर रही है, उचित व्यवस्था के लिए गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है, से संपर्क कर सकती है।

(vii) एनबीएफसी को सलाह दी गई कि शारीरिक दृष्टिक रूप से अशक्त आवेदकों को अक्षमता के आधार पर ऋण सुविधाओं सहित सुविधाएं तथा उत्पाद देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

(viii) आर एन बी सी को छोड़ कर सभी एनबीएफसी केवल अपनी अंतर्हित विदेशी मुद्रा देयताओं की प्रतिरक्षा करने के प्रयोजनार्थ, अपने तुलन पत्रों में उचित प्रकटनों के साथ, इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) दिशानिर्देशों के अध्यधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त नामनिर्दिष्ट मुद्रा वायदा बाजारों और विकल्प एक्सचेंजों में क्लायंटों के रूप में भाग ले सकते हैं।

(ix) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 08 जनवरी, 2010 के कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो (रिजर्व बैंक) निदेश, 2010 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनियों को छोड़कर) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेनों में भाग लेने के लिए अर्हक हैं। ऐसे रिपो लेनदेनों में भाग लेने वाली एनबीएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और लेखाकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई।

(x) जैसा कि वार्षिक नीति 2010-11 में घोषणा की गई थी, मुख्य निवेश कंपनियों (सीआईसी) संबंधी मसौदा दिशानिर्देश 21 अप्रैल, 2010 को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाईट पर डाले गए थे। बाजार प्रतिभागियों से प्राप्त अनुक्रिया के आधार पर, मुख्य निवेश कंपनियों के लिए विनियामक ढांचे की घोषणा की गई। प्रणाली के हितार्थ अधिक स्पष्टता लाने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि पणधारिता के उद्देश्य से भी, अन्य कंपनियों के शेयरों में निवेश करना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 451 (ग)(ii) के अर्थों में शेयरों के अधिग्रहण का कारोबार करना माना जाएगा। 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली सीआईसी को सर्वांगी रूप से महत्वपूर्ण मुख्य निवेश (सीआईसी- एनडी-एसआई) कम्पनियां माना जाएगा और उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-।क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से सीओआर प्राप्त करे, चाहें उन्हें विगत में यह सलाह दी गई हो कि पंजीकरण अपेक्षित नहीं है। सीआईसी-एनडी-एसआई के लिए पूंजी अपेक्षाएं, अनुरक्षित किया जाने वाला उत्तोलन अनुपात आदि निर्धारित किए गए हैं। उन सीआईसी-एनडी- एसआई के लिए सांविधिक न्यूनतम एनओएफ के अनुरक्षग से कतिपय छूटें, विवेकशील मानक जिनमें पूंजी पर्याप्तता हेतु अपेक्षाएं शामिल हैं, और देनदारी मानक निर्धारित किए गए हैं। सीआईसी-एनडी-एसआई को अपने तुलन पत्र को अंतिम रूप देने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर इन दिशानिर्देशों की अनुपालना के संबंध में अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों से वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

(xi) क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 की उप धारा (2) और क्रेडिट सूचना कंपनी विनियम 2006 के विनियम 10(क) (ii) के दृष्टिगत, एनबीएफसी को सलाह दी गई कि वे एनबीएफसी जो किसी भी नई क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियों के सदस्य बने हैं, वे उन्हें विद्यमान प्रारूप में मौजूदा आंकड़े उपलब्ध करा दें। ऐसी एनबीएफसी अपने सॉफ्टवेयर का वैधीकरण करने के लिए और एक विशाल मजबूत आंकडाधार तैयार करने के लिए नई क्रेडिट सूचना कंपनियों को समर्थ बनाने हेतु पारम्परिक आंकड़े भी उपलब्ध कराएंगी। तथापि, यह सुनिश्चित करने हेतु ध्यान देना होगा कि क्रेडिट सूचना कंपनियों को उधारकर्ताओं के संबंध में कोई गलत आंकड़े/सूचना नहीं दी जाए।

बॉक्स 5.2 : कॉरपोरेट बांड बाजार

परिष्कृत अत्याधुनिक वित्तीय अवसंरचना के साथ युग्मित आर्थिक उत्साहशीलता ने भारत के इक्विटी बाजारों की तीव्र वृद्धि में योगदान दिया है। बाजार लक्षणों और गहनता के अर्थ में भारतीय इक्विटी बाजार का स्थान विश्व के सर्वोत्तम बाजारों में आता है। इसके समानान्तर पिछले वर्षों में सरकारी प्रतिभूति बाजार का भी विकास और सरकार की बढ़ती हुई उधार अपेक्षाओं को देखते हुए विस्तार हुआ है। इसके विपरीत, बाजार प्रतिभागिता और संरचना दोनों के संदर्भ में कॉरपोरेट बांड बाजार पिछड़ गया है। गैर-बैंक वित्तीय कंपनियां मुख्य निर्गमकर्ता हैं और कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम राशियां जुटाई जाती हैं। इसके अनेक कारण हैं:–

(i) बैंक ऋणों की प्रबलता;

(ii) एफआईआई की प्रतिभागिता सीमित है;

(iii) निवेशक विश्वास की कमी के कारण पेंशन और बीमा कंपनियां तथा परिवार सीमित भागीदार है; तथा

(iv) सरकारी बांडों द्वारा निष्कासित किया जाना।

इसके परिणामस्वरूप, कॉरपोरेट बांड बाजार कुल बांड बाजार का केवल 14 प्रतिशत है; और बाजार नकदी तथा अवसंरचना सीमित बनी हुई है। पाटिल समिति की सिफारिशों को अपनाए जाने से, कॉरपोरेट बांड बाजार धीरे-धीरे विकसित हो रहा है।

बैंकिंग प्रणाली द्वारा सामना की जाने वाली परिसंपत्ति देनदारी समस्याओं के मद्देनजर दीर्घावधिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बैंक वित्त के कम होने से, एक गहन और उत्साहशील कॉरपोरेट बांड बाजार के आगामी विकास की आवश्यकता अत्यधिक है। निम्नलिखित सारणी भारत में कॉरपोरेट बांड बाजार की प्रास्थिति को दर्शाती है।

एन एस ई तथा बी एस ई में सूचीबद्ध कारपोरेट बांडों का निजी नियोजन

वर्ष	निर्गमों की संख्या	राशि (करोड़ ₹)
2007-08	744	118,485
2008-09	1041	173,281
2009-10	1278	212,635
2010-11(नवम्बर 10 तक)	929	147,400

स्रोत : सेबी (एन बी एफ सी सहित)

निम्नलिखित सारणी में भारत समाहित कुछ उदीयमान बाजारों में बांड निर्गम के ब्यौरे दिए गए है:

(बिलियन अमरीकी डालर)

प्रदेश/देश		**2007**	**2008**	**2009**
लातिनी अमरीका	अर्जेंटीना	3.4	0.1	0.5
	ब्राजील	9.9	6.7	10.1
	चाईल	0.3	0.1	3.0
	मेक्सिको	6.3	4.5	15.5
उदीयमान यूरोप	हंगरी	4.1	5.3	3.0
	पोलैंड	4.1	3.8	10.2
	रूस	30.2	22.1	10.8
एशिया	चीन	2.1	2.1	3.3
	भारत	7.5	1.4	2.2
	इंडोनेशिया	1.8	4.2	5.5
	मलेशिया	0.9	0.4	0.1
	फिलिपीन्स	1.0	0.4	5.4.
	थाइलैंड	0.8	0.5	-

स्रोत : आईएमएफ, जीएफएसआर, अप्रैल 2010

भारत में कारपोरेट बांड बाज़ार के विकास हेतु की गई पूर्ववर्ती पहले

- कारपोरेट बांड बाज़ार पर विनियामक क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा उसे सेबी के अधीन रखा गया है। सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम 2008 में प्रकटनों तथा सूचीयन अपेक्षाओं को सरल बनाया गया है। न्यूनतम बाज़ार लॉट मानदंड को 10 लाख रुपए से घटाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है ताकि खुदरा निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- कारपोरेट बांडों में एफआईआई निवेश की सीमा को 15 बिलियन अमरीकी डालर की विद्यमान सीमा से बढ़ाकर 20 मिलियन अमरीकी डालर की गई है तथा 5 बिलियन अमरीकी डालर की वर्धनात्मक सीमा को पांच वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले कारपोरेट बांडो में निवेशित किया जाना है।
- बीएसई, एनएसई तथा फिमदा ने रिपोर्टिंग मंच स्थापित किए हैं। इन मंचों में रिपोर्ट किया गया सकलित डाटा जनता को प्रसारित किया जाता है। सारांश डाटा सेबी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। भा.रि.बैं के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए मार्च 2010 से कारपोरेट बांडों में रिपो की अनुमति दी गई है। एक्सचेंज कारोबारित ब्याज दर फ्यूचर्स की शुरूआत अगस्त 2009 में की गई थी।

- मसौदा ऋण चूक अदलाबदली (सीडीएस) दिशानिर्देश जुलाई, 2010 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं।
- वित्त अधिनियम, 2008 (01/06/2008 से) में यह अधिदेश दिया गया था कि किसी कंपनी द्वारा निर्गत किसी प्रतिभूति पर संदेय किसी ब्याज से कोई टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती), नहीं काटा जाएगा जहां ऐसी प्रतिभूति इलेक्ट्रानिक रूप में जारी की गई है तथा भारत में मान्यता प्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। केन्द्रीय सूची में मदों (वचन पत्र के स्वरूप के ऋण पत्र तथा बांड) पर स्टाम्प शुल्क कम किया गया है तथा उसे एक समान बनाया गया है।
- समाशोधन निगमों के माध्यम से समाशोधन तथा निपटान विनिर्दिष्ट निकायों नामत: म्यूचुअल फंड, दूर दृष्टि वाले संस्थागत निवेशक, उद्यम पूंजी निधि इत्यादि के बीच कारोबारों हेतु अधिदेशित किया गया है। समाशोधन तथा निपटान डीवीपी I आधार पर है।

कारपोरेट बांड बाज़ार के आगामी विकास हेतु की जाने वाली सुझाई गई पहलें[1]

- डीवीपी (परिदाय बनाम भुगतान) III आधार पर समाशोधन और निपटान प्राथमिक डीलरों के साथ बाज़ार निर्माण, ऋण चूक अदलाबदली को समर्थकारी बनाना। बैंको को ऋण वर्धन की अनुमति देना– बैंकों द्वारा कारपोरेट बांडों को गारंटी देना। सरकारी बांडों की अल्प बिक्री संबंधी मानदंडों को शिथिल करना। (भारतीय रिज़र्व बैंक)
- शेल्फ विवरणिका के प्रयोग हेतु मानदंड शिथिल करना– कंपनी अधिनियम की धारा 60 में संशोधन आवश्यक है (कंपनी कार्य मंत्रालय)
- सरफेसी के तहत बांड धारक को अधिकार देना (वित्तीय सेवाएं विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक)
- एक व्यापक बांड आंकड़ाधार का सृजन (भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, फिम्मदा)
- सभी राज्यों में स्टाम्प शुल्कों को कम करने तथा उन्हें एकसमान बनाने के लिए स्टाम्प अधिनियम की धारा 9 में संशोधन (राजस्व विभाग)

[1] **उत्तरदायी अभिकरण को कोष्ठक में निर्दिष्ट किया गया है।**

प्रमुख नीतिगत परिवर्तन–प्रतिभूतिकरण कंपनियां/पुनर्निर्माण कंपनियां (एससी/आरसी)

5.67 21 अप्रैल, 2010 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक पारदर्शिता और बाजार अनुशासन लाने के लिए विभिन्न पहलुओं के संबंध में एससी/आरसी को जारी दिशानिर्देश आशोधित किए।

पूंजी बाज़ार

प्राथमिक बाज़ार

5.68 वर्ष 2010–11 ने भारतीय पूंजी बाज़ार को ह्रास को पीछे छोड़ते हुए और सशक्त वृद्धि की ओर बढ़ते हुए परिलक्षित किया है। 30 नवम्बर 2010–11 की स्थिति के अनुसार आरम्भिक सार्वजनिक पेशकशों (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशों (एफपीओ) तथा राईट्स निर्गम के जरिए जुटाई गई संचयी राशि 2009–10 में 46737 करोड़ रुपए की तुलना में 46,701 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2010–11 के दौरान अभी तक 33,068 करोड़ रुपए राशि की 40 नई कम्पनियां (आईपी ओ) एनएसई तथा बीएसई दोनों में सूचीबद्ध है जबकि 2009 में 24,696 करोड़ रुपए के साथ सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या 39 थी। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए औसत आईपीओ आकार विगत वित्त वर्ष में 633 करोड़ रुपए की तुलना में 827 करोड़ रुपए है जो 30.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस के अतिरिक्त, वर्ष 2009–10 में 2500 करोड़ रुपए की तुलना में ऋण निर्गम के जरिए 2197 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। निजी नियोजन के जरिए जुटाई गई पूंजी की राशि वर्ष 2009–10 में 2,12,635 करोड़ रुपए की तुलना में 2010–11 में (30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार) 1,47,400 करोड़ रुपए हैं। सारणी 5.15 में इन आंकड़ों को सारांशित किया गया है।

सारणी 5.15 : प्राथमिक बाज़ार के जरिए संसाधन संग्रहण

(₹ करोड़)

विधि	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
1. ऋण	0	1500	2500	2197
2. इक्विटी	54,511	2082	46,737	46,701
जिसमें से आईपीओ	42,595	2082	24,696	33,068
आईपीओ की संख्या	85	21	39	40
औसत आईपीओ आकार	501	99	633	827
3. निजी नियोजन	1,18,485	1,73,281	2,12,635	1,47,400
4. यूरो निर्गम (एडीआर/जीडीआर)	उन	उन	उन	उन
जोड़ (1+2+3+4)	**2,16,176**	**1,79,066**	**2,87,240**	**2,30,233**

स्रोत : सेबी तथा भा.रि. बैंक (यूरो निर्गमों के लिए)
टिप्पणियां : उ.न. का अर्थ है अनुपलब्ध * **30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार**

सारणी 5.16 : म्यूचुअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण (निवल) के रुझान

(₹ करोड)

क्षेत्र	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	7326	10,677	-3659	15,653	-5237
2. सरकारी	7621	9820	9380	12,499	-2956
3. निजी	79,038	1,33,304	-34,018	54,928	20,378
4. जोड़ **(1+2+3)**	**93,985**	**1,53,802**	**-28,296**	**83,080**	**12,185**

स्रोतः सेबी
टिप्पणियां: *30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार

म्यूचुअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण

5.69 वर्ष 2009-10 में, म्यूचुअल फंडों द्वारा जुटाए गए 83,080 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान (नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार) में म्यूचुअल फंडों ने बाज़ार से 12,185 करोड़ रुपए जुटाए। प्रबंधनाधीन आस्तियों का बाज़ार मूल्य 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 6,13,979 करोड़ रुपए की तुलना में 30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार 6,65,282 करोड़ रुपए था जो 8.4 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। सारणी 5.16 में इस संबंध में ब्यौरे दिए गए हैं।

द्वितीयक बाज़ार

5.70 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार, भारतीय मूल सूचकांकों-बीएसई सेंसेक्स तथा निफ्टी-में 2009-10 के बंद मूल्य की तुलना में क्रमशः 17.0 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निफ्टी जूनियर तथा बीएसई 500 में भी विगत वित्तीय वर्ष में उनके मूल्यों की तुलना में क्रमशः 17.8 प्रतिशत और 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (चित्र 5.3)

5.71 निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी जूनियर तथा बीएसई 500 का मुक्त फ्लोट बाज़ार पूंजीकरण क्रमशः 18,27,097 करोड़ रुपए,

सारणी 5.17 : सूचकांक आय, अस्थिरता, बाज़ार पूंजीकरण तथा पी/ई अनुपात

सूचकांक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-2010-$
निफ्टी:					
आय (प्रतिशत)	12.3	23.9	-36.2	73.8	17.9
बाजार पूंजीकरण (करोड़ ₹)	9,27,089	12,40,071	7,71,483	15,25,162	18,27,097
दैनिक अस्थिरता*	1.8	2.0	2.6	1.9	1.0
पी/ई अनुपात	18.4	20.6	14.3	22.2	24.5
निफ्टी जूनियर:					
आय (प्रतिशत)	7.3	16.0	-45.6	148.4	17.8
बाजार पूंजीकरण (करोड़ ₹)	13,76,826	2,02,809	1,13,523	2,92,316	3,37,573
दैनिक अस्थिरता	2.0	2.4	2.8	2.0	1.1
पी/ई अनुपात	18.5	16.7	8.7	15.8	17.6
बीएसई सूचकांक:					
आय (प्रतिशत)	15.9	19.7	-37.9	80.5	17.0
बाजार पूंजीकरण (करोड़ ₹)	8,31,033	10,71,940	6,95,152	13,28,862	16,32,236
दैनिक अस्थिरता	1.8	1.9	2.8	1.9	1.0
पी/ई अनुपात	20.3	20.1	13.7	21.3	23.6
बीएसई 500:					
आय (प्रतिशत)	9.7	24.3	-42.8	96.4	15.1
बाजार पूंजीकरण (करोड़ ₹)	14,56,632	19,96,839	11,68,850	24,44,151	29,52,135
दैनिक अस्थिरता	1.7	2.0	2.6	1.8	1.0
पी/ई अनुपात	17.7	20.0	13.7	20.4	21.4

स्रोत : बीएसई तथा एनएसई।
टिप्पणी : $ 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार।

चित्र 5.3 एन.एस.ई. तथा बी.एस.ई. सूचकांकों की घट–बढ़

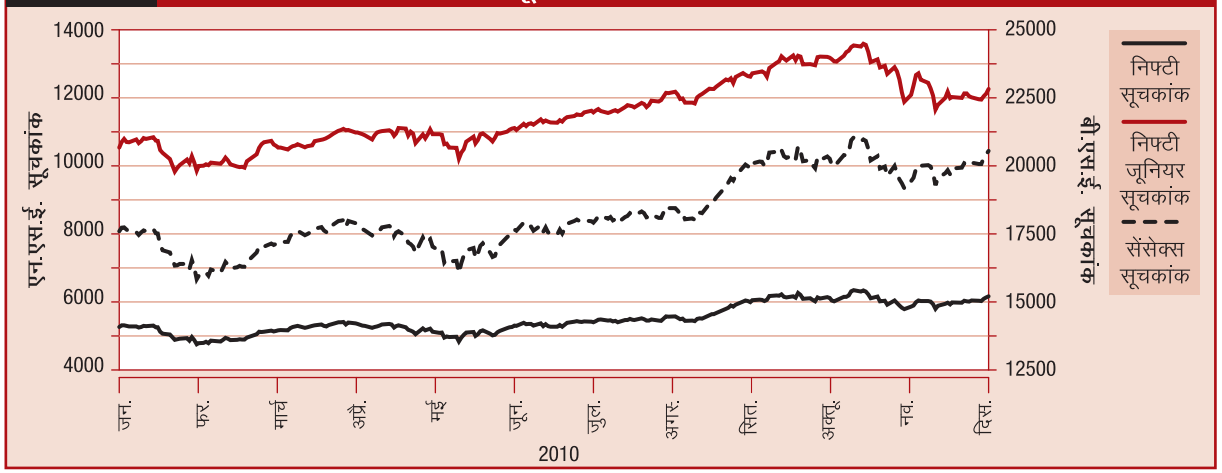

16,32,236 करोड़ रुपए, 3,37,573 करोड़ रुपए तथा 29,52,135 करोड़ रुपए था जो वित्तीय वर्ष 2009-10 में उनके मूल्यों की तुलना में क्रमशः 19.8 प्रतिशत, 22.8 प्रतिशत, 15.5 प्रतिशत तथा 20.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

5.72 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी जूनियर तथा बीएसई 500 के अर्जन-कीमत (पी/ई) अनुपात क्रमशः 24.5, 23.6, 17.6 तथा 21.4 थे जो उनके 2009-10 मूल्यों की तुलना में क्रमशः 10.1 प्रतिशत, 10.5 प्रतिशत, 11.6 प्रतिशत तथा 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

5.73 सूचकांक प्रतिफल, उतार चढ़ाव, बाज़ार पूंजीकरण तथा पी/ई अनुपात के संबंध में ब्यौरे सारणी 5.17 में दिए गए हैं।

5.74 पूंजी बाजार खंड में, बीएसई का कुल कारोबार 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार 8,93,839 करोड़ रुपए था तथा एनएसई का कुल कारोबार 27,87,862 करोड़ रुपए था जबकि 2009-10 में यह कारोबार क्रमशः 13,78,809 करोड़ रुपए और 41,38,024 करोड़ रुपए था। सारणी 5.18 में द्वितीयक बाज़ार के इन रुझानों को प्रदर्शित किया गया है।

इक्विटी व्युत्पाद

5.75 इक्विटी व्युत्पाद खंड में एनएसई ने वर्ष 2009-10 के दौरान 1,76,63,665 करोड़ रुपए की तुलना में 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार 2,05,99,192 करोड़ रुपए का कुल कारोबार परिलक्षित किया। इसी प्रकार बीएसई के इक्विटी व्युत्पाद खंड में कुल कारोबार वर्ष 2009-10 के दौरान 234 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2010-11 में (अब तक) 35 करोड़ रुपए है। सारणी 5.18 में ये रुझान दर्शाए गए हैं जबकि सारणी 5.19 में भारतीय इक्विटी बाज़ारों के साप्ताहिक प्रतिफलों का उतार-चढ़ाव दर्शाया गया है।

सारणी 5.19 : भारतीय इक्विटी बाज़ार में साप्ताहिक आय की अस्थिरता (मानक विपथन)

सूचकांक	2008-09	2009-10	2010-11*
निफ्टी	5.5	3.8	2.2
निफ्टी जूनियर	6.6	4.5	2.5
सेंसेक्स	5.8	3.6	2.2
बीएसई 500	5.7	3.9	2.2

स्रोत : बीएसई तथा एनएसई।
टिप्पणी : *31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार

सारणी : 5.18 बाज़ार कारोबार (करोड़ ₹)

बाज़ार	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
बीएसई					
नकदी	9,56,185	15,78,670	11,00,074	13,78,809	8,93,839
इक्विटी व्युत्पाद	59,007	2,42,308	12,268	234	35
एनएसई					
नकदी	19,45,285	35,51,038	27,52,023	41,38,024	27,87,862
इक्विटी व्युत्पाद	73,56,242	1,30,90,478	1,10,10,482	1,76,63,665	2,05,99,192

स्रोत : बीएसई तथा एनएसई।
टिप्पणी : *31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार

सारणी 5.20 : मुद्रा फ्यूचर्स

वर्ष	एनएसई		एमसीएक्स-एसएक्स		यूएसई	
	2009-10	2010-11$	2009-10	2010-11*	2009-10	2010-11*
संविदाओं की संख्या	37,86,06,983	50,02,21,743	40,81,66,278	61,93,53,844	अनु.	11,87,44,133
कारोबारी मूल्य (करोड़ ₹)	17,82,608	23,04,219	19,44,654	28,89,445	अनु.	5,37,836
औसत दैनिक कारोबारी मूल्य (करोड़ ₹)	7428	14,045	8103	17,636	अनु.	7504

स्रोत : एनएसई, एमसीएक्स एसएक्स तथा यूएसई
टिप्पणी : *30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार

मुद्रा व्युत्पाद

5.76 मुद्रा व्युत्पाद खंड में एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज (एमसीएक्स-एस एक्स) में कारोबार वर्ष 2009-10 में 19,44,654 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2010-11 में (30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार) में 28,89,445 करोड़ रुपए का था। एनएसई ने 2009-10 में 17,82,608 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2010 में (30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार) 23,04,219 करोड़ रुपए का कारोबार परिलक्षित किया। इस के अतिरिक्त, यूएसई, जिसने 20 सितम्बर 2010 को मुद्रा व्युत्पाद खंड में प्रचालन आरंभ किए थे, ने 30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार 5,37,836 करोड़ रुपए का कारोबार परिलक्षित किया (सारणी 5.20)।

ब्याज दर व्युत्पाद

5.77 एनएसई में ब्याज दर फ्यूचर्स में कारोबार की शुरुआत 31 अगस्त 2009 को हुई। वर्ष 2010-11 के दौरान (30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार), एनएसई ने इस खंड में 2009-10 में 2975 करोड़ रुपए की तुलना में 53 करोड़ रुपए का कुल कारोबार परिलक्षित किया। (सारणी 5.21)

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)

5.78 पंजीकृत एफआईआई की संख्या 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार 1713 से बढ़कर 31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार 1718 हो गई। पंजीकृत उपखातों की संख्या भी इसी अवधि के दौरान 5378 में बढ़कर 5503 हो गई।

5.79 भारतीय इक्विटी बाजार में, एफआईआई ने 2009-10 में 1,10,221 करोड़ रुपए की तुलना में 2010-11 (31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान 1,12,622 करोड़ रुपए निवेशित किए। इसके अतिरिक्त, ऋण खंड में, एफआईआई ने वर्ष 2009-10 में 32,438 करोड़ रुपए की तुलना में 2010-11 में (31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार)24,839 करोड़ रुपए निवेशित किए। वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक एफआईआई द्वारा इक्विटी तथा ऋण में कुल निवेश वर्ष 2009-10 में 1,42,658 करोड़ रुपए की तुलना में 1,37,461 करोड़ रुपए था (सारणी 5.22)

सारणी 5.21 : एनएसई में ब्याज दर फ्युचर

वर्ष	2009-10	2010-11$
संविदाओं की संख्या	1,60,894	2,864
कारोबारी मूल्य (करोड़ ₹)	2975	53
औसत दैनिक कारोबारी मूल्य (करोड़ ₹)	21	0.3

स्रोत : एनएसई
टिप्पणी: *30 नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

5.80 प्रमुख उभरते हुए बाजारों के रूझान कीमत/अर्जन अनुपात के साथ क्रमश: सारणी 5.23 और 5.24 में दिए गए हैं। सारणी 5.23 में वैश्विक सूचकांकों द्वारा अपने 2003 के स्तरों के प्रति 2004 से 2010 तक के लाभ/हानियां प्रदर्शित की गई हैं।

बाजार उतार चढ़ाव

5.81 वर्ष 2010 भारतीय पूंजी बाजारों के लिए सुदृढ़ वृद्धि का वर्ष रहा है। वैश्विक सुधारों के पश्चात और ठोस घरेलू वृद्धि के साथ युक्मित प्रोत्कर्षित कॉरपोरेट क्षेत्र के चलते विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बाजार में धनराशियां निवेश करने से, तेजड़ियों ने वर्ष 2010 में बाजारों को 18 प्रतिशत के निवल लाभ तक पहुंचा दिया। सूचकांकों ने 5 नवम्बर 2010 को हुए एक घंटे के विशेष मुहुर्त कारोबार के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की जिसमें सेंसेक्स 21004.96 और निफ्टी 6312.45 के स्तर पर पहुंच गया। 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार बाजार अपने इस अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर से केवल 3 प्रतिशत दूर रह गए हैं और ये 20509.09 (सेंसेक्स के लिए 31 दिसंबर, 2009 से +17.43 प्रतिशत) और 6134.5 (निफ्टी के लिए 17.95 प्रतिशत) पर बंद हुआ।

5.82 भारतीय बाजार लगातार आठ छमाहियों से लाभ कमाते आ रहे हैं, जो कम से कम 20 वर्षों में उनकी सबसे लंबी अवधि है। जहां 2009, आधारत: 2008 के संकटपूर्ण वर्ष से सुधार का वर्ष था, 2010 लाभों को सुदृढ़ करने का वर्ष रहा सेंसेक्स 31 दिसंबर 2008 को 9647 से उछलकर 31 दिसंबर 2009 को 17464.81 पर पहुंच गया और 31 दिसंबर 2010 को 20509.09 पर इसने अपनी प्रगति को सुदृढ़ किया। कुल बाजार पूंजीकरण

सारणी 5.22: एफआईआई के लेनदेन

लेनदेन	कैलेंडर वर्ष		
	2008-09	2009-10	2010-11*
एफआईआई की संख्या (वास्तविक)	1635	1713	1718
उपखातों की संख्या (वास्तविक)	5015	5378	5503
1. इक्विटी बाजार क्रियाकलाप (करोड़ ₹)			
सकल खरीद	5,54,585	7,05,523	6,03,406
सकल बिक्री	6,02,292	5,95,302	4,90,785
निवल	-47,706	1,10,221	1,12,622
2. ऋण बाजार क्रियाकलाप (करोड़ ₹)			
सकल खरीद	59,993	1,40,914	1,54,081
सकल बिक्री	58,098	1,08,477	1,29,241
निवल	1,895	32,438	24,839
3. कुल क्रियाकलाप (करोड़ ₹)			
सकल खरीद	6,14,579	8,46,437	7,57,487
सकल बिक्री	6,60,389	7,03,779	6,20,026
निवल	-45,811	1,42,658	1,37,461

स्रोत : सेबी
टिप्पणी : *31 दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार

सारणी 5.23 : वैश्विक सूचकांकों के संचलन में संचयी परिवर्तन*

सूचकांक	2003 अंत के स्तर के प्रति संचयी परिवर्तन (%)						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
बीएसई सेंसेक्स, भारत	13.1	61	136.1	247.4	65.2	199.1	251.2
हैंग सेंग सेंसक्स, हांग कांग	13.2	18.3	58.8	121.2	1.1	74.2	83.2
जकार्ता संयुक्त सूचकांक, इंडोनेशिया	44.5	68.1	161	296.8	35.5	264.1	435.3
निक्के 225, जापान	7.6	50.9	61.3	43.4	-22.9	-5.3	-4.2
कोस्पी सूचकांक, दक्षिण कोरिया	10.5	69.7	76.8	133.9	25.6	104.4	153.0
क्वाला लाम्पुर संयुक्त सूचकांक, मलेशिया	14.2	13.4	38	82	-3.3	58.7	-
टीएसईसी भारित सूचकांक, ताईवान	4.2	11.2	32.8	44.4	-25.2	32.3	35.3
एसएसई संयुक्त सूचकांक, चीन	-15.4	-22.4	78.7	251.5	43.7	116.9	87.6

स्रोत : विभिन्न देशी स्रोतों से प्राप्त
टिप्पणी : *वर्षांत बंद भाव

सारणी 5.24 : चयनित उभरते हुए बाजारों में पी/ई अनुपात

देश	सूचकांक	2008-09	2009-10	2010-11*
कोरिया	कोस्पी	25.7	11.1	14.8
थाइलैंड	सेट	15.7	12.3	15.0
इंडोनेशिया	जकार्ता संयुक्त	20.1	16.6	20.9
मलेशिया	क्वाला लाम्पुर संयुक्त	15.0	18.9	17.4
ताईवान	टीएसईसी भारित	65.7	19.1	15.7
भारत	बीएसई सेंसेक्स	13.7	21.3	23.6
भारत	एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी	14.3	22.3	24.5

स्रोत: बीएसई, एनएसई और ब्लूमबर्ग
टिप्पणी 31 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार

31 दिसंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार 60,81,308 की तुलना में 31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार 72,96,725 करोड़ रहा।

5.83 माह-दर-माह संचलन के संदर्भ में, सूचकांकों ने सितंबर, 2010 तक एक सुदृढ़ चरण दर्शाया। जहां व्यष्टि स्टाकों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया, सूचकांक अधिकांशत: सीमा में ही रहे। अधिकतम मासिक लाभ सितंबर में दर्ज किए गए जब सेंसेक्स और निफ्टी ने अगस्त के बंद भावों की तुलना में 11.61 प्रतिशत और 11.62 प्रतिशत का लाभ दर्ज किया। वैश्विक रूप से तुलना करने पर, जहां इंडोनेशिया में जकार्ता संयुक्त ने लगभग 45 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि के साथ वृद्धि दर्ज की, यू.एस. डो जोन्स और यू.के. एफटीएसई 100 में क्रमश: 11 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नास्दॉक संयुक्त सूचकांक 16.91 प्रतिशत ऊपर था जबकि एस एंड पी 13 प्रतिशत बढ़ा। तथापि, जापान का निक्केई 225 और चीन का शांघाई संयुक्त वर्ष के दौरान क्रमश: 3 प्रतिशत और 14 प्रतिशत गिर गया, जो संबद्ध देशों में बढ़ते येन और मौद्रिक दुर्लभता को प्रतिबिंबित करता है।

बाजार उतार चढ़ाव के कारण

5.84 बाजार भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र की सुदृढ़ स्थिति पर प्रचलित हैं। साथ ही, भारत के शीर्ष 100 कॉरपोरेट करदाताओं द्वारा अग्रिम कर भुगतान पिछले एक वर्ष की तुलना में इस वर्ष दिसंबर में 18.7 प्रतिशत बढ़ गए, जो तीसरी तिमाही में बेहतर कॉरपोरेट निष्पादन का संकेत देता है और बाजार क्षेत्र के मौलिक सिद्धांतों में विश्वास को प्रबल करता है। भारत का अप्रैल-नवम्बर कर संग्रहण, पिछले वर्ष के 3.296 ट्रिलियन रुपए की तुलना में 4.18 ट्रिलियन रुपए अनुमानित था, जो अर्थव्यवस्था के स्वस्थ मौलिक सिद्धांतों का संकेत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का इस राजकोषीय वर्ष के लिए सरकार के 8.5 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य को मात देने की संभावना है, जो घरेलू क्षेत्र में सर्राफा बाजार को और प्रोत्साहित करेगा।

पारम्परिक स्तरों पर विदेशी संस्थागत निवेश अंतर्वाह समंजनकारी मौद्रिक नीतियों और कमजोर आर्थिक प्रत्याशाओं के कारण विकसित बाजारों में पारम्परिक रूप से कम अर्जनों ने विकसित बाजारों में एफआईआई अंतर्वाहों को कीर्तिमान ऊंचाईयों तक धकेल दिया।

प्राथमिक बाजार को इस कैलेंडर वर्ष में एक नया जीवनदान मिला जब भारतीय कंपनियों ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों और अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशों के जरिए 69,192 करोड़ रुपए जुटाए। यह पिछले वर्ष से 3.5 गुणा अधिक था (19,567 करोड़ रुपए) और 2007 में 45,142 करोड़ रुपए के पिछले रिकार्ड से 53 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष के कुल संग्रहणों के 72 प्रतिशत से अधिक का संग्रहण सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों (पीएसयू) द्वारा किया गया है। इस वर्ष भारत में कोल इंडिया से 15,199 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे बड़ी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश देखी गई, जिसने अकेले ही वर्ष के कुल संग्रहणों का 22 प्रतिशत जुटाया।

5.85 वैश्विक सुधार भी बाजारों के प्रोत्कर्ष में परिणामी हुई। विश्वभर में मनोभावों को संवर्धित करते हुए, अमरीकी अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में 2.6 प्रतिशत की वार्षिक दर पर बढ़ी, जिससे वृद्धि में ऐसी तेजी आई, जो 2011 उपभोक्ताओं और कंपनियों में खर्च करने का विश्वास आने तक चल सकती है। चीन की विनिर्माण वृद्धि मुद्रास्फीति के बीच सापेक्षतया उच्च स्तर पर बनी रही। संपूर्ण विश्व का ध्यान चीन की संवृद्धि पर है चूंकि इसे 2011 में वैश्विक संवृद्धि का चालक माना जा रहा है। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को सीमित करने के लिए मौद्रिक नीतियों को कड़ा करने और ऊर्जा-कुशलता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कारखानों को बंद करने के पश्चात, चीन का विनिर्माण क्षेत्र दिसंबर में तीन महीनों में सबसे धीमी गति से बढ़ा। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि चीन के बाद, उभरते हुए बाजारों में शेष केन्द्रीय बैंक भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए उन्हें कठोर कर रहे हैं।

5.86 वैश्विक स्तर पर, नेता संवृद्धि की गति को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि द्वारा 28 नवंबर को आयरलैंड के लिए 85 बिलियन यूरो (113 बिलियन डालर; 72 बिलियन पौंड) के सहायता पैकेज द्वारा यूरोजोन के ऋण संकट संबंधी निवेशको की चिंताएं समाप्त होने से अधिकांश यूरोपीय और एशियाई शेयर सूचकांक बढ़ गए। युनान को, जो सबसे पहले आहत हुआ था, मई में 110 बिलियन यूरो का सहायता पैकेज मिला था, जिसने उसे शोध क्षमता से बचाया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति ने अपने 200 बिलियन पौंड के प्रमात्रात्मक सहायता कार्यक्रम को जारी रखने को स्वीकृति दी। यूरोप के ऋण संकट से तनाव को कम करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा तैयार कार्यक्रम को समाप्त करने का समय जनवरी से बढ़ाकर अगस्त किया गया। सुधार के संकेतों के बीच, यूएस फेडरल रिजर्व ने यूएस राजकोषीय बांडों में 600 बिलियन डालर खरीदने और अल्पाधिक ब्याज दरों को शून्य के आस-पास रखने की नीति की शुरूआत की। संयुक्त राज्य अमरीका ने बुश- काल की सभी कर-कटौतियों का समय भी बढ़ा दिया। इन सभी घटनाक्रमों से बाजार में सकारात्मक मनोभाव उत्पन्न हुए हैं। जहां आयरिश बैंकिंग तंत्र को व्यवस्थित करने के उपाय जारी हैं वहां पुर्तगाल, आयरलैंड, यूनान और स्पेन नामक यूरो समूह में अन्य दो देशों की बाबत बढ़ती चिंताओं से विश्वभर की मनोदशाएं हतोत्साहित हो रही हैं।

प्रमुख नीतिगत घटनाक्रम

लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए इक्विटी वित्त

5.87 जरूरतमंद लघु तथा मध्यम उद्यमों को वित्त साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए सेबी बोर्ड ने 25 अक्तूबर, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में एसएमई के लिए एक पृथक एक्सचेंज का सृजन करने के लिए सहमति दे दी थी। तदनुसार, मई, 2008 में इस मुद्दे पर एक चर्चा पत्र निकाला

गया। प्राप्त पुनर्निवेशन के आधार पर, सेबी बोर्ड ने 6 अक्तूबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि एसएमई द्वारा निगर्मित प्रतिभूतियों के सूचीयन और और कारोबार के लिए समर्पित एक्सचेंजों तथा/अथवा विद्यमान एक्सचेंजों के समर्पित मंचों के संवर्धन को प्रोत्साहन दिया जाए। 9 नवम्बर, 2009 को, सेबी बोर्ड ने लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए एक्सचेंजों/स्टॉक एक्सचेंजों के मंचों के प्रचालनात्मक पहलुओं के संबंध में निर्णय लिया। तदनुसार, सेबी ने राष्ट्रव्यापी कारोबार टर्मिनलों वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा एसएमई के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज/कारोबारी मंच का गठन करने की अनुमति दे दी है तथा साथ ही एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए बाजार निर्माण हेतु दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी विनियमों में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं। अंतिम रूप दिए गए विनियमों के आधार पर, एसएमई मंच स्थापित करने के लिए आवेदनपत्र सेबी को प्राप्त हुए हैं।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)

5.88 वित्तीय क्षेत्रक कानूनों को वर्तमान अपेक्षाओं से सुमेलित करने के लिए उन्हें पुनर्लिखित और संशोधित करने के विचार से सरकार ने अपने बजट 2010-11 में एफएसएलआरसी के गठन की घोषणा की।

5.89 इस आयोग का कार्यक्षेत्र सिद्धांतों को मोटे तौर पर ध्यान में रखते हुए कानून की समीक्षा करने, उसे सरल बनाने और पुनर्लिखित करने का होगा। यह वित्त क्षेत्रक विनियामक संस्थाओं के संचालन के सामान्य सिद्धांत समूह को तैयार करेगा। आयोग विनियम की अपेक्षाकृत अधिक समाभिरूपता के मामले की जांच करेगा तथा वित्त बाजारों की विनियामक संरचना को सुप्रवाही बनाएगा।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (एफएसडीसी)

5.90 वित्तीय स्थिरता और विकास बनाए रखने के तंत्र के सुदृढ़ीकरण और सांस्थानिकीकरण के विचार से, सरकार ने एक शीर्ष स्तरीय निकाय एफएसडीसी का गठन किया। परिषद् के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री हैं तथा इसके सदस्यों में वित्त क्षेत्रक विनियामक संस्थाओं के प्रमुख शामिल हैं। विनियामकों की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह परिषद् विशाल वित्तीय संस्थान समूहों के कार्यकरण सहित अर्थव्यवस्था का समष्टिगत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करेगी और अंतर विनियामक समन्वयन मसलों का समाधान करेगी। यह वित्तीय जानकारी और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान देगी। परिषद् में आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में एक उप समिति होगी। उक्त परिषद् का सचिवालय आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय में होगा। एफएसडीसी के गठन की अधिसूचना 30 दिसंबर, 2010 को जारी हुई और इसकी प्रथम बैठक 31 दिसंबर, 2010 को हुई।

विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति

5.91 प्रत्याशित उधारकर्ता स्वचालित और अनुमोदन के दो मार्गों से ईसीबी तक पहुंच सकता है। वित्तीय मध्यवर्ती से भिन्न कोई कारपोरेट जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत हो, अनुमत अंत प्रयोगों के लिए रुपया व्यय और/या विदेशी मुद्रा में व्यय, दोनों हेतु किसी भी वित्त वर्ष में 500 मिलियन अमरीकी डालर तक के ईसीबी का अभिगम स्वत: अनुमोदित मार्ग के द्वारा कर सकता है। सेवा क्षेत्र नामत: होटलों, अस्पतालों और साफ्टवेयर कंपनियों के उधारकर्ता पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए और रुपया तथा/अथवा विदेशी मुद्रा में पूंजीगत व्यय के लिए किसी वित्त वर्ष में 100 मिलियन अमरीकी डालर तक तथा सूक्ष्म वित्त गतिविधियों में संलग्न गैर-सरकारी संगठन किसी भी वित्त वर्ष में 5 मिलियन अमरीकी डालर तक के ईसीबी तक अभिगम स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत कर सकते हैं। स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत असम्मिलित ईसीबी पर अनुमोदित मार्ग के तहत मामला-दर-मामला आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है। ईसीबी नीति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचनाओं के जरिए परिचालित की जाती है। इन्हें आरबीआई की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ईसीबी पर लागू मानदंड एचएफसी जिन के लिए आरबीआई द्वारा मानदंड अधिसूचित किए जाएंगे, के मामले की छोड़कर एफसीसीबी पर भी हर प्रकार से लागू हैं।

5.92 2010-11 में हालिया आशोधित ईसीबी नीति के चंद पहलू निम्नवत् सारांशित हैं:-

(क) वर्तमान मानदंडों के अनुसार, अवसंरचनात्मक वित्त कंपनियां (आईएफसी); अर्थात् आरबीआई द्वारा आई एफसी के रूप में श्रेणीबद्ध एनबीएफसी वर्तमान ईसीबी नीति में यथा परिभाषित अवसंरचनात्मक क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए ईसीबी का लाभ अनुमोदन मार्ग से उठाने के लिए अनुमत थीं। वर्तमान प्रक्रियाओं के उदारीकरण के उपाय के रूप में अप्रैल-मई 2010 में की गई समीक्षा के उपरांत आईएफसी को बकाया ईसीबी सहित ईसीबी का लाभ स्वत: अनुमोदित मार्ग के ज़रिए उनकी स्वामित्वाधीन निधियों के 50 प्रतिशत तक उठाने की अनुमति देने का निर्णय पहले से लागू विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का उनके द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्यधीन लिया गया है। आईएफसी को अपनी स्वामित्वाधीन निधियों के 50 प्रतिशत से अधिक के ईसीबी हेतु आरबीआई का अनुमोदन प्राप्त करना होगा और इसीलिए इन पर विचार अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार, घरेलू रुपया ऋणों के पुनर्वित्तपोषण हेतु ईसीबी का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। तथापि, अवसंरचना क्षेत्र की विशेष निधियन

सारणी 5.25 : आरबीआई के साथ पंजीकृत ईसीबी

(मिलियन अमरीकी डालर)

ब्यौरे	2009-10 (अप्रैल-मार्च)	2009-10 (अप्रैल-नव.)	2010 -11 (अप्रैल-नव.)
ईसीबी	17,602	8632	11,617
एफसीसीबी	4076	3633	960
कुल	21,678	12,265	12,577
स्वत: अनुमोदन मार्ग	13,924	7445	7683
अनुमोदन मार्ग	7754	4820	4894

आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए समुद्री पत्तन, तथा विमानपत्तन, सेतुओं सहित तथा सड़कों विद्युत क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के विकास के लिए पात्र उधारकर्ताओं द्वारा घरेलू बैंकों से रुपए में लिए ऋणों के पुनर्वित्तपोषण हेतु अनुमोदन मार्ग के तहत ईसीबी के ज़रिए आहरण वित्तपोषण सुविधा योजना को आरबीआई द्वारा नियत शर्तों के अध्यधीन लागू करने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय कंपनियों को अपने एफसीसीबी का पुन: क्रय 30 जून, 2010 तक अनुमोदन मार्ग से करने की अनुमति थी। नीति की समीक्षा के आधार पर और एफसीसीबी के निर्गमकत्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनज़र 30 जून, 2011 तक एफसीसीबी के पुन: क्रय के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत आवेदनों पर विचार करने का निर्णय एफसीसीबी के पुन: क्रय, पूर्व संदाय की सभी शर्तों और निबंधनों का अनुपालन निर्गमकर्ताओं द्वारा किए जाने की शर्त के अधीन लिया गया है।

(ग) वर्तमान में सेवा क्षेत्रक संस्थानों नामत होटलों, अस्पतालों और साफ्टवेयर कंपनियों को अनुमत: अंत प्रयोगों के लिए विदेशी मुद्रा और/या रुपए में पूंजीगत व्यय के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर प्रति वित्त वर्ष तक का ईसीबी स्वत: अनुमोदित मार्ग से उपभोग करने की अनुमति है। समीक्षोपरांत अनुमोदन मार्ग के तहत 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक ईसीबी का लाभ उठाने के लिए होटल, अस्पताल तथा साफ्टवेयर क्षेत्रों में कॉरपोरेटों, के आवेदनों पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत ईसीबी सारणी 5.25 में दिए गए है।

सरकारी प्रतिभूतियों एवं कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश

5.93 वर्तमान में, सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों एवं कारपोरेट बांडों में क्रमश: 5 बिलियन अमरीकी डालर और 15 बिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश करने की अनुमति है। अवसंरचना क्षेत्र की मौद्रिक नीति को समर्थित करते समय भारत की विकसित होती वृहद् आर्थिक स्थिति, निवेश गंतव्य के रूप में इसके बढ़ते आकर्षण और भारतीय अवसंरचना क्षेत्र के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत के संदर्भ में समीक्षा करने के बाद सरकारी प्रतिभूतियों एवं कारपोरेट बांडों दोनों में प्रत्येक के लिए विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा को 5 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ाकर उन्हें क्रमश: 10 बिलियन अमरीकी डालर और 20 बिलियन अमरीकी डालर करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, 5 बिलियन अमरीकी डालर की वर्धित सीमा को 5 वर्षों से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों में तथा अवसंरचना क्षेत्र में कंपनियों द्वारा निर्गत पांच वर्षों से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले कारपोरेट बांडों में निवेशित किया जाना है।

भारत में विदेशी निवेश संबंधी कार्यकारी समूह का प्रतिवेदन

5.94 विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी संविभागीय निवेशों एवं विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक तथा निजी इक्विटी संस्थानों जैसे अन्य विदेशी निवेशों संबंधी वर्तमान व्यवस्थाओं को युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने विविध किस्मों के उन विदेशी पूंजी प्रवाहों जो संबंधित स्वतंत्र विनियमों में अंतरपणन का लाभ उठा रहे हैं पर नज़र रखने और सरकार से अनुशंसाएं करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया। समूह ने वित्त सचिव को अपना प्रतिवेदन 30 जुलाई, 2010 को प्रस्तुत किया।

5.95 समूह ने विनियम की संरचना और उन तरीकों की जांच की जिनमें पद्धतियां, संस्थाएं और प्रक्रियाएं इन नीतिगत निर्णयों को रूपांतरित और निरूपित करती हैं। इसने सूचीबद्ध और असूचीबद्ध इक्विटी व्युत्पादों तथा कारपोरेट और सरकारी प्रतिभूतियों तथा इन मामलों से जुड़े कर नीति संबंधी विदेशी मुद्रा कानून का अध्ययन किया। इसने उन क्षेत्रों को, जहां एफडीआई नीति और पोर्टफोलियो निवेश अन्तर्गुम्फित थे, छोड़कर एफडीआई नीति पर गौर नहीं किया। भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में पूंजीप्रवाहों की परिकल्पना करने वाली आर्थिक नीति के साथ-साथ प्रतिवेदन के अध्यादेश के मुख्य कार्यक्षेत्रों में कानून द्वारा निर्मित प्रोत्साहनों एवं संरचना की सन्निकट संवीक्षा: सूचीबद्ध और असूचीबद्ध इक्विटी, कारपोरेट एवं सरकारी प्रतिभूतियों के विनियम; और व्युत्पाद कारोबार संबंधी विदेशी मुद्रा नियंत्रणों की गहन संवीक्षा भी समूह के प्रतिवेदन में विद्यमान है। समूह का ध्यान उन प्रक्रियाओं एवं कार्यविधियों जो अनिश्चितता, विलम्ब या असमान व्यवहार का परिहार करने में सहायता कर सकती है की पहचान करने और ऐसे उपाय अनुशंसित करने पर रहा है जिनसे पोर्टफोलियो निवेश माहौल सरल हो सके और साथ ही केवाईसी मानदंडों पर तगड़ा जोर दिया गया है। प्रतिवेदन की प्रतिलिपि वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर उपलब्ध है: http//finmin.nic.in/reports/wafi/pdf.

वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ)

5.96 वित्तीय कार्रवाई कृत्तिक बल एक अंतर सरकारी निकाय है जो धनशोधन रोधी वैश्विक मानक निर्धारित करने तथा आतंकवाद के वित्तपोषण से जूझने के लिए उत्तरदायी है। भारत वर्ष 2006 में एफएटीएफ में अवलोकनकर्ता बन गया था। तब से भारत एफएटीएफ की पूर्ण विकसित सदस्यता के लिए कार्य कर रहा है।

इसकी सदस्यता के भाग के रूप में, एक संयुक्त एफएटीएफ/एशिया प्रशांत समूह म्यूचुअल मूल्यांकन दल ने एफएटीएफ की 40+9 अनुशंसाओं के संबंध में भारत के अनुपालन का ऑन साईट मूल्यांकन करने के लिए नवम्बर-दिसम्बर, 2009 में भारत का दौरा किया।

5.97 भारत के संबंध में पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट तथा भारत की सदस्यता के मुद्दों पर अमस्टरडैम, दि नीदरलैंड्स में 23 से 25 जून, 2010 को आयोजित एफएटीएफ प्लेनरी XXI की तीसरी बैठक में चर्चा की गई। एफएटीएफ प्लेनरी ने 24 जून, 2010 को भारत संबंधी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अंगीकृत किया तथा 25 जून, 2010 को भारत को एफएटीएफ के 34वें सदस्य देश के रूप में स्वीकृत किया गया।

5.98 अंतर्राष्ट्रीय वित्त में एक प्रमुख प्रतिभागी बनने की इसकी दौड़ में भारत के लिए एफएटीएफ की सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत को आतंकवाद से लड़ने की क्षमता का निर्माण करने तथा आतंकवादी धनराशि का पता लगाने और सफलतापूर्वक धनशोधन तथा आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़े अपराधों की जांच करने तथा अभियोजन चलाने में सहायता करेगी। धनशोधन रोधी और आतंकवाद के वित्त प्रबंधन से जूझने संबंधी यूरेसियन समूह (ईएजी) की भारतीय सदस्यता एफएटीएफ प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एएमएल/सीएफटी प्रयासों के समन्वयन में भी हमारी सहायता करेगी।

धनशोधन रोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण से जूझने संबंधी यूरेसियन समूह (ईएजी) की भारतीय सदस्यता।

5.99 भारत ने 15 दिसंबर 2010 को ईएजी की सदस्यता प्राप्त की जो एक एफएटीएफ किस्म का क्षेत्रीय निकाय है जिसकी ज़िम्मेदारी वैश्विक, एएमएल और सीएफटी मानकों के प्रवर्तन की है। भारतीय सदस्यता के लिए समर्थन सर्वसम्मत था। भारत इस समूह का 9वां सदस्य है। अन्य सदस्य रूस, चीन, तुर्कमेनिस्तान, सर्बिया, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, बेलारूस और कजाकस्तान है। इस समूह में 16 राष्ट्र और 15 संगठन अवलोकनकर्ताओं के रूप में शामिल हैं।

भारत की सावरिन रेटिंग

5.100 वर्तमान में भारत का दर निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय ऋण दर निर्धारण अभिकरणों नामत: स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी), मूडीज इनवेस्टर सर्विसेज, एफआईटीसीएच, डामिनियन बांड रेटिंग सर्विस (डीबीआरएस), दी जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और रेटिंग एंड इनवेस्टमेंट इनफारमेशन इंक, टोकियो द्वारा किया जाता है। इन ऋण दर निर्धारण अभिकरणों को सूचना प्रेषण सुप्रवाही बनाया गया है।

5.101 कैलेंडर वर्ष 2010 में एस एंड पी ने भारतीय विदेशी मुद्रा दृष्टिकोण को ऋणात्मक से स्थिर में उन्नयित कर दिया, एफ आई टी सी एच ने इसके स्थानीय मुद्रा दृष्टिकोण को ऋणात्मक से स्थिर में उन्नयित किया और मूडी ने इस स्थानीय मुद्रा दृष्टिकोण का उन्नयन करके इसे बी ए टू से बीए वन किया। अन्य अभिकरणों द्वारा निर्गत ऋण दर निर्धारण यथापूर्व स्थिति में बने रहे।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

5.102 वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ का गठन) समूह 7 के वित्त मंत्रियों एवं सेन्ट्रल बैंक के गवर्नरों ने वित्त बाजार के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में सूचना के संवर्धित आदान-प्रदान एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए अंतरराष्ट्रीय वित्त स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु 1999 में किया। इसने अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा समूह 20 के देशों, जो एफ एस एफ में आदित: नहीं थे, को नए सदस्यों के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लंदन में अपने पूर्ण सत्र की बैठक में 11-12 मार्च, 2009 को लिया। इनमें अर्जेन्टीना, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, और तुर्की शामिल हैं। बदलाव लाने और यह संसूचित करने के लिए कि एफ एस एफ इस दिशा में भविष्य में और अधिक प्रमुख भूमिका निभाएगा, एफ एस एफ को वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफ एस बी) के रूप में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु विस्तारित सदस्यता और विस्तृत अधिदेश के साथ 2 अप्रैल, 2009 को पुन: गठित किया गया।

5.103 वर्तमान एफ एस बी में जी 20 देशों से राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण (सेन्ट्रल बैंक, पर्यवेक्षी प्राधिकरण, और वित्त मंत्रालय), और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय विनियामक एवं पर्यवेक्षी समूह, सेंट्रल बैंक के विशेषज्ञों की समितियां, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक शामिल हैं।

वित्तीय स्थिरता निर्धारण कार्यक्रम

5.104 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक ने भारत के वित्त क्षेत्रक निर्धारण कार्यक्रम (एफ एस ए पी) का निरूपण 2000-2001 में किया परंतु यह सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि यह 12 देशों के प्रायोगिक एफ एस ए पी निर्धारण का भाग था। वित्त क्षेत्रक निर्धारण समिति ने जिसकी अध्यक्षता आर बी आई के डिप्टी गवर्नर और वित्त सचिव ने की, वर्ष 2009 में एक स्वत: निर्धारण किया था। इसके निष्कर्ष सार्वजनिक अधिक्षेत्र (आर बी आई की वेबसाइट) में है।

एफ एस बी के सदस्य आवधिक अभिजात समीक्षाएं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सदस्य के नाते भारत ने आई एम एफ/विश्व बैंक से अनुरोध किया है कि वे पूर्ण विकसित एफ एस ए पी के रूप में ऐसी समीक्षा कराएं। भारत का एफ एस ए पी कैलेन्डर वर्ष 2011 में होना नियत किया गया है।

बीमा और पेंशन

बीमा क्षेत्र

5.105 निजी सहभागिता के लिए बीमा क्षेत्र को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधिनियमन के साथ खोला गया। निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित उद्यमों में विदेशी प्रतिभागिता की अनुमति देते हुए सरकार ने एफडीआई मार्ग के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यम भागीदार की प्रतिभागिता को बीमा कंपनी की 26% प्रदत्त इक्विटी तक प्रतिबंधित किया।

बॉक्स 5.3 : वित्तीय समावेशन और जानकारी

वित्तीय समावेशन समावेशी विकास और स्थायी समृद्धि में निर्णायक भूमिका निभा रहा है जैसा कि वर्धमान रूप से, मान्य और वैश्विक रूप से स्वीकृत किया जा रहा है। जनता के विशाल वर्गों को औपचारिक संदाय तंत्र और वित्त बाजारों का भाग होने की जरूरत है। वित्तीय समावेशन से वित्तीय बचतें भी व्यापक और गहन होंगी तथा इससे उच्चतर आर्थिक विकास होगा।

पूर्ववर्ती पहलें: यद्यपि भारत की वित्त क्षेत्रक नीतियां वर्धमान प्रवेश और पहुंच के उद्देश्य से प्रेरित रही है तथापि समावेशन का लक्ष्य दूर हो रहा है। वयस्क जनता का तकरीबन 41% बैंकों का प्रयोग नहीं करता तथा मात्र 14 प्रतिशत वयस्क जनता के ही ऋण खाते हैं। पिछली पहल कदमियों में ये शामिल है: (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए ऋण तथा बचत सुविधाएं प्रदान करने वाले सहकारी बैंकों का संजाल विस्तार; (ii) बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण और इनकी शाखाओं का विस्तार तथा (iii) सांस्थानिक वित्त प्रबंधन तक अभिगम न कर सकने वाली भारतीय जनता के विशाल वर्गों की बचत एवं उधार की जरूरतें पूरी करने की कार्यनीति के भाग के रूप में निर्दिष्ट लक्ष्यों के साथ उधार देने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विस्तृत ढांचे का सृजन। इस चुनौती की संपूर्ण विशालता को देखते हुए इन प्रयत्नों के परिणाम अब तक मिले जुले रहे हैं।

हालिया पहलें/अभिनव दृष्टिकोण; हालिया पहलों में ये शामिल हैं: (i) फुटकर प्रयोजन के लिए ''नो फ्रिल'' खाते; (ii) सरलीकृत के वाई सी (अपने ग्राहक को जाने) (iii) ऋण परामर्श सेवा केंद्र सुविधाएं; (iv) एन जी ओ का उपयोग और एस एच जी का गठन (v) किसान क्रेडिट कार्ड सेवाएं और (vi) स्मार्ट कार्डों का विस्तार। वित्त मंत्री ने भी 2007-08 के अपने बजट भाषण में वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के निधियन हेतु प्रावधान किया। रंगराजन समिति ने भी वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की। हालिया समय में दो अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में स्मार्ट कार्डों और मोबाइल फोन बैंकिंग जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। उनके विस्तार की संभावना हालिया प्रारंभ बैंकिंग कारेस्पोंडेंस अप्रोच के विशेष सहयोग से विस्तृत हो सकती है।

नई प्रविष्टि तथा प्रतिस्पर्द्धा: इसके अलावा, नई प्रतिस्पर्द्धा और प्रविष्टि भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं जो वैश्विक अनुभव से स्पष्ट है। दो विशेष पहलकदमियों में अति लघु वित्त संस्थाओं (एम एफ आई) और गैर बैंक वित्त कंपनियों (एन बी एफ सी) की भूमिका शामिल है। एम एफ आई के क्रियाकलाप हालिया सालों में बढ़ गए हैं, परंतु ये संवीक्षा और नियमन (अध्याय 2 देखें) के दायरे में आ गए हैं। सेवाएं तीव्र गति से विस्तृत हुई जिससे परंपरागत महाजनों के विकल्पों से बेहतर शर्तों पर वे प्राप्य हुईं। तथापि, बेहतर नियमन भी जरूरी है। एन बी एफ सी मामलों में स्वर्ण गिरवी रखने वाले प्रतिष्ठानों ने भी वैकल्पिक उपलब्धता मुहैया कराई है और ये शहरी तथा अर्ध शहरी परिवेशों में तीव्र गति से फैल रहे हैं। जहां तक ब्याज दरों पर सीमाओं का संबंध है, तो अन्य उत्पादों के मामले की तरह निम्न ब्याज दरों के रूप में आर्थिक सहायता नियतन एवं दुरूपयोग के कारण सेवाओं की प्राप्ति में प्राय: अवरोधक होती हैं।

अतएव आज हमारी जरूरत वित्तीय समावेशन के प्रति नए दृष्टिकोणों की है जो अतीत के अनुभवों पर आधारित हों, परंतु जिनमें नवीनतर कार्यक्रमों और साधनों का प्रयास भी शामिल हो। महत्वपूर्ण रूप से इसके लिए हमारी जनता के अब तक के अनभिगम वाले और अल्प अभिगम वाले वर्गों तक पहुंचने के कारगर उपायों का पता लगाकर उन्हें लागू करने के लिए नीति निर्माताओं, व्यावसायियों और अन्य पणधारियों की सोच में बदलाव लाने की भी जरूरत है।

वित्तीय जानकारी: जनता के विशाल वर्ग के लिए वित्तीय सेवाओं तक अधिक पहुंच उपलब्ध कराने की किसी नीतिगत पहलकदमी में वित्तीय शिक्षा और जानकारी में विद्यमान ज्ञानपरक अंतर को पाटने की आवश्यक रूप से कोशिश की जानी होगी। पिछले लगभग एक दशक में समस्त विश्व, खासकर विकसित देशों, के शोधार्थियों ने यह अध्ययन और अन्वेषण शुरू किया कि क्या व्यक्ति वित्तीय निर्णय लेने में सुयोग्य हैं। वित्तीय बोध और जानकारी किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में अत्यावश्यक हो जाती हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है कि हर जगह नीतिनिर्माता इस पर अधिकतर ध्यान देते जा रह हैं और वे इसमें सुधार के अपने प्रयत्नों को इसकी ओर निर्दिष्ट कर रहे हैं– यू.के. में वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण ने जनता की वित्तीय कुशलताएं सुधारने और वित्तीय लिखतों और लेनदेनों में अंतर्निहित जोखिमों और पुरस्कारों का बेहतर अवबोधन समर्थकारी बनाने की बड़ी मुहिम चलाई है। अमरीकी राजकोष जिसने अपना वित्तीय शिक्षा कार्यालय 2002 में स्थापित किया था, वित्तीय जानकारी के साधनों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। कांग्रेस द्वारा 2003 में स्थापित वित्तीय जानकारी और शिक्षा आयोग वित्तीय जानकारी और शिक्षा के वर्धन हेतु अस्तित्व में आया। आस्ट्रेलिया में सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता और वित्तीय साक्षरता कृतिक बल का गठन 2002 में किया। 2001 में मलेशिया में आरंभ वित्तीय क्षेत्रक महायोजना में 10 वर्षीय उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शामिल है। सिंगापुरी मौद्रिक प्राधिकरण ने एक राष्ट्रीय वित्तीय जानकारी कार्यक्रम (धन की समझ) प्रारंभ किया है। एक राष्ट्रव्यापी, समन्वित प्रयत्न की जरूरत भारत में भी थी और वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। प्रत्याशित है कि इस नई पहल से वित्तीय समावेशन और जानकारी की चुनौती के पर्याप्त समाधान में मदद मिलेगी।

विकास आर्थिकी के मुहावरे और रूपक समय के साथ बदलते रहते हैं। आज हमारे जैसे देश में नई वित्तीय क्षेत्रक पहलकदमियों - वे चाहे सरकार, सेन्ट्रल बैंक, अन्य प्राधिकरणों की तवरित और नवीन नीतिगत अनुक्रियाओं के रूप में हों या विविध प्रतिभागियों की कार्यान्वयन परक दक्षता और अन्वेषण क्षमता के रूप में हों, को वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय बोध और जानकारी दोनों को स्पष्टता से अग्रता देने की जरूरत है।

बीमा क्षेत्र में नए प्रतिस्पर्धी

5.106 इस क्षेत्र के खुलने के बाद से प्रतिभागियों की संख्या वर्ष 2000 में 6 बीमाकर्ताओं (भारतीय जीवन बीमा निगम; चार सार्वजनिक क्षेत्रक साधारण बीमाकर्ताओं, और राष्ट्रीय बीमाकर्ता के रूप में साधारण बीमा निगम सहित) से बढ़कर जीवन, जीवनेतर, और पुनर्बीमा खंडों में (विशिष्टीकृत बीमाकर्ताओं नामत: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन और कृषि/बीमा कंपनी सहित) कार्यरत 48 बीमाकर्ताओं तक पहुंच गई है। तीन साधारण बीमा कंपनियों नामत: स्टार हेल्थ और अलायंस इन्श्योरेन्स कंपनी, अपोलो डीकेवी, और मैक्स बुपा हेल्थ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की भांति काम करती हैं।

5.107 22 बीमा कंपनियों में से जिन्होंने इस क्षेत्र के खुलने के बाद जीवन क्षेत्र में कारोबार शुरु किए हैं, 20 विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम में हैं। 18 (स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियों सहित) बीमाकर्त्ताओं में से जिन्होंने जीवनेतर क्षेत्र में कारोबार शुरु किए हैं, 16 विदेशी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। तीन स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियां विदेशी संयुक्त उद्यम भागीदारों के सहयोग से स्थापित की गई हैं। इस प्रकार आज की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र में 36 बीमा कंपनियां सम्पूर्ण विश्व की स्थापित विदेशी बीमा कंपनियों के सहयोग से देश में प्रचालन कर रही हैं।

जीवन बीमा

5.108 उदारीकरणोतर अवधि बीमा उद्योग, अधिकतर जीवन क्षेत्र में प्रचुर वृद्धि की साक्षी रही है। 2009-10 में वित्तीय मंदी के कारण उत्पन्न परिणाम के बाद भी जीवन बीमा क्षेत्र में ऊर्ध्वमुखी रूझान देखा गया। प्रथम वर्ष का प्रीमियम जो 2009-10 में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा हामीदारी किए गए नए प्रतिभूत व्यवसाय का माप है 2008-09 में 87,331.09 करोड़ रु॰की तुलना में 1,09,894.02 करोड़ रु॰ था। इससे 25.84% की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2009-10 में सहलग्न और सहलग्नेतर व्यवसाय के मामलों में 54.53% प्रथम वर्षीय प्रीमियम की सहलग्न क्षेत्र में हामीदारी हुई जबकि शेष 45.47% प्रीमियम सहलग्नेतर क्षेत्र में था। पिछले वर्ष यह प्रतिशतता क्रमश: 51.13% एवं 48.87% थीं।

जीवनेतर बीमा

5.109 भारत में जीवनेतर बीमाकर्ताओं ने (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन और कृषि बीमा निगम तथा स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियों जैसी विशिष्टीकृत संस्थाओं को छोड़कर) 2008-09 में 30,352 करोड़ रु॰ की तुलना में 2009-10 में 34,620 करोड़ रु॰ प्रीमियम की हामीदारी की।

बीमा व्याप्ति

5.110 बीमा व्याप्ति को किसी निर्धारित वर्ष में जीडीपी के प्रति हामीदार किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्ष 2000 में जब यह क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोला गया, बीमा व्याप्ति 2.32 (जीवन 1.77 और जीवनेतर 0.55) थी और यह बढ़कर 2009 में 5.39 (जीवन 4.73 और जीवनेतर 0.66) हो गई है। बीमा व्याप्ति के स्तरों में बढ़त का निर्धारण विगत पांच वर्षों में जीडीपी में 8% से अधिक की औसतन वृद्धि की तुलना में किया जाना है।

बीमा क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा की गई पहलें

5.111 बीमा क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा की गई पहलों में अग्रलिखित शामिल हैं:-

1) **बीमा विधान में संशोधन:** हाल ही में संसद में पुर:स्थापित बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2008 में बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) अधिनियम 1999, और साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। बीमा अधिनियम और इरडा अधिनियम में संशोधन से वर्तमान विनियामक अपेक्षाओं पर ध्यान दिया गया है; प्रस्तावित परिवर्तनों में प्रचालनों में अधिक नम्यता की व्यवस्था है और ये वर्तमान समय में अब अप्रासंगिक हो चुके खंडों के विलोपन की ओर लक्षित हैं। इन संशोधनों में प्रवर्तन शक्तियां बढ़ाने और सख्त शास्तियां लगाने की व्यवस्था भी है।

2) **अति लघु बीमा:** इरडा ने ग्रामीण और शहरी निर्धन जनता के लिए वहनीय बीमा उत्पादों के वितरण और देश के वृहत्तर बीमा तंत्र का अभिन्न अंग बनने हेतु अति लघु बीमा को समर्थ बनाने के लिए अति लघु बीमा विनियमों का निरूपण किया है। इन विनियमों का मुख्य बल अल्प आय वाले लोगों को आकस्मिक जोखिमों से बचाव के रूप में सस्ते बीमा उत्पादों का प्रदाय करना है। वर्ष 2009-10 में जीवन बीमाकर्त्ताओं के लघु बीमा पोर्टफोलियो में कुल प्रीमियम की प्राप्ति 402 करोड़ रु॰ हे। चौदह जीवन बीमाकर्ताओं ने अब तक 28 अति लघु बीमा उत्पाद प्रवर्तित किए हैं और मार्च 2010 के अंत तक भारत में 8676 व्यष्टि लघु बीमा अभिकर्ता थे।

3) **एएमएल कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देश:** इरडा ने ए एम एल कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देश बीमा उद्योग के लिए 31 मार्च 2006 को जारी किए थे जिनके द्वारा बीमाकर्ताओं को सलाह दी गई थी कि वे जीवन बीमा कंपनियों और जीवनेतर बीमा कंपनियों के लिए क्रमश: 1 अगस्त, 2006 तथा 1 जनवरी, 2007 से प्रभावी उचित एएमएल नीतिगत ढांचा लागू करें। प्राधिकरण ने धनशोधन रोधी/आतंकवाद पर वित्तपोषण को सामान्य करने

संबंधी एक अद्यतनीकृत मूल परिपत्र 24 सितंबर 2010 को जारी किया है। एएमएल/सीएफटी संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा एफएटीएफ की 40+9 सिफारिशों की शर्तों में कतिपय शर्तें जोड़ने के लिए प्राधिकरण द्वारा की गई और अतिरिक्त शर्तें/स्पष्टीकरण दिनांक 12 नवंबर 2010 के परिपत्र के तहत बीमाकर्ताओं को 31 दिसंबर 2010 तक अनुपालित किए जाने के लिए जारी किए गए।

4) डाटा भंडार: इरडा ने बीमा उद्योग के लिए डाटा भंडार के अभिकल्पन, निर्माण और प्रबंध संबंधी कदम इस अहसास के साथ उठाए हैं कि डाटा से बीमाकर्ताओं को नए उत्पादों का अभिकल्पन करने और वैज्ञानिक हामीदारी अनुमत करने, बीमांकिक जोखिमों का आगे और परिकलन करने, मूल्य नियत करने, और दावों के निपटान, खतरों के प्रबंध, आदि से जुड़े विविध मामलों पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। प्रथम उपाय के रूप में इरडा ने स्वास्थ्य और मोटर वाहन बीमा संबंधी डाटा समुच्चय का निरूपण किया है। इरडा का प्रस्ताव समस्त उद्योग के विविध पणधारियों द्वारा अभिगम समर्थ बनाते हुए एक औपचारिक डाटा भंडार को प्रवर्तित करने का भी है।

5) उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ: इरडा का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ पालिसी धारकों की शिकायतों की जांच करता है। जीवन और जीवनेतर बीमाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतों पर अलग-अलग कार्रवाई पर जाती है। यह प्रकोष्ठ संबंधित बीमाकर्ताओं से शिकायतों पर कार्रवाई करके एक सुविधाकारी भूमिका निभाता है।

6) जन जागरूकता मुहिमें/कार्यक्रम: उपभोक्ता जागरूकता/जानकारी संबंधी इरडा की कार्यनीति में बाह्य मीडिया अर्थात जन मीडिया, मुख्यत: प्रिन्ट, दूरदर्शन और इंटरनेट तथा आंतरिक पहलें जैसे अनन्य उपभोक्ता जानकारी प्रदाता वेब पृष्ठ और व्यापाक सूचना सहित बीमा संबंधी विविध मसलों पर प्रतिमान प्रस्तिकाएं जिन्हें प्रकाशित और वितरित करने की सलाह बीमाकर्ताओं को भी दी जाती है, के जरिए मुहिमें चलाना शामिल है।

7) यूनिट सहबद्ध बीमा योजना (यूलिप) प्रभारों पर सीमा: बीमा उद्योग ने यूलिप की शुरूआत की है जिन्हें भारतीय उपभोक्ताओं ने पसंद किया है। ये उत्पाद कतिपय प्रभार विहित करते हैं जो अंशदानों से या कोष से काट लिए जाते हैं। सरलीकृत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभार प्रदत्त हो रही सेवाओं के लिए युक्तियुक्त, प्रासंगिक और ग्राहकों को सुस्पष्ट हैं, इरडा ने सभी प्रभारों पर एक साथ समग्र सीमा का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरती गई है कि बीमाकर्ताओं को पालिसी की अवधि में प्रभारों के वितरण की स्वतंत्रा प्राप्त रहे। इससे भी नम्यता हासिल होती है तथा उत्पाद अभिनवकरण सुकर होता है।

8) कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश: बीमा कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के निदेशक मंडलों और वरिष्ठ प्रबंधन का ढांचा, उनकी जिम्मेदारियां और कृत्य सभी पणधारियों की प्रत्याशाओं और विनियामक की उम्मीदों को पूरी तरह मान्य करें। इन दिशानिर्देशों में कारपोरेट अभिशासन के प्रधान ढांचागत अवयव मोटे तौर पर शामिल हैं।

9) पालिसी धारकों की शिकायतों के निवारण के क्षेत्र में पहलकदमियां

क) जीवन और साधारण बीमा कंपनियों दोनों के लिए विशिष्ट शिकायत निवारण दिशानिर्देशों को 1 अगस्त 2010 से प्रभावी करते हुए इरडा द्वारा निर्गत किया गया है जिनमें विविध प्रकार की शिकायतों की प्राप्ति, उनपर कार्रवाई और उनकी सूचना देने में लगने वाला समय निर्धारित है।

ख) इरडा ने बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने हेतु पालिसीधारकों के लिए राष्ट्रव्यापी टाल फ्री शिकायत प्राप्ति केन्द्र सं॰ '155255' का प्रारंभण जुलाई 2010 में किया। इरडा का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ पालिसीधारकों की शिकायतों की जांच करता है। यह प्रकोष्ठ त्वरित निपटानार्थ संबंधित बीमकर्ताओं से शिकायतों पर चर्चा करके सुविधाकारी भूमिका निभाता है।

ग) इरडा ने विवरणिकाओं में नवीकरण को नकारते हुए या भारवृद्धि करते हुए और बिलकुल स्पष्ट प्रकटनों को महत्व देते हुए स्वास्थ्य बीमा नीतियों की नवीकरणीयता पर 1 जून, 2010 से प्रभावी दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें इसकी क्रियाविधि को साफ-साफ परिभाषित किया गया है। नवीकरण में 15 दिनों तक के विलंब की अनदेखी करने का निर्देश भी बीमाकर्ताओं को दिया गया।

घ) इरडा ने बीमाकर्ताओं को वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा की शर्तों पर हिदायतें भी दी हैं एवं परिपत्र की तारीख के बाद दायर उत्पादों के बारे में कम से कम 65 वर्ष की उम्र तक के नागरिकों की प्रविष्टि को अनुमत करना अनिवार्य बनाया है। इरडा ने अपने दिनांक 2 सितंबर, 2009 के परिपत्र के तहत तीन या अधिक वर्षों की अवधि वाली स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के लिए 'फ्री लुक पीरियड' (मुक्त जांच अवधि) की सुविधा देने की सलाह भी बीमाकर्ताओं को दी है।

ड.) इरडा नए समेकित शिकायत निपटान तंत्र को विकसित करने की प्रक्रिया में लगा है जिससे पालिसीधारकों को न केवल बीमा कंपनियों के प्रति अपनी शिकायतों को आन लाइन दर्ज करने/उनका पता लगाने में सुविधा होगी, वरन् इरडा के लिए बीमा कंपनियों की शिकायत निपटान प्रक्रिया का अनुवीक्षण करना भी सुकर होगा।

च) अभिकरण की पहचान और सेवा प्रदाय से जुड़ी अनेक शिकायतें पालिसीधारकों से प्राप्त कर रहे इरडा ने पालिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी बीमाकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे अभिकरण कोड, अभिकरण नाम और मोबाइल फोन नं॰ (मोबाइल फोन नं॰ के अनुपलब्ध रहने पर लैंड लाइन नं॰) को पालिसी कागजात के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से 1 नवंबर 2010 को या इससे पूर्व अवश्य प्रदर्शित कराएं।

छ) अस्पतालों के अधिमानित नेटवर्क प्रदाता में बदलाव होने पर चिकित्सा बीमा नीतियों के मामले में बीमकर्ताओं के लिए 24 अगस्त 2010 को निर्देश दिया गया है कि वे पालिसीधारकों को ऐसे निकटतम वैकल्पिक अस्पतालों के बारे में हर वक्त सूचना दें जहां नगदरहित सुविधा उपलब्ध हो और उनकी शर्तें भी अवगत कराएं।

ज) इरडा ने यूलिपों संबंधी हालिया विनियामक परिवर्तनों के बारे में मार्गदर्शक टिपपणियों को 28 जून, 2010 को जारी किया है।

10) बीमा और पुर्नबीमा उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए:-

(i) चूंकि पुनर्बीमा और सहबीमा में अंतर कंपनी अधिशेष बढ़ रहे हैं, अत: इरडा ने बीमा क्षेत्रक अनेक संस्थाओं की नगदी पर गंभीर विवक्षाएं प्रस्तुत कर सकने वाले इन अधिशेषों पर ध्यान देते हुए बीमाकर्ताओं एवं दलालों को सभी अंतर कंपनी कारोबारों के मामलों में प्रशासन और लेखा समाधान के लिए कंप्यूटर तंत्र को अपनाने हेतु प्रेरित करने का निर्णय लिया है।

(ii) इरडा (बीमा उत्पादों के वितरणार्थ डाटाबेस की साझेदारी) विनियमावली 2010 जारी करके सभी बीमाकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे इन विनियमों के अस्तिव में आने से पूर्व की गई तमाम संदर्भ व्यवस्थाओं को जो इन विनियमों के उपबंधों के अननुरूप हों, समाप्त कर दें।

(iii) इरडा (बीमा विज्ञापन और प्रकटन) (संशोधन) विनियमावली, 2010 को बीमा उद्योग की नियमित वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु निर्गत किया गया है।

(iv) इरडा (विच्छिन्न सहबद्ध बीमा नीतियों पर कार्रवाई) विनियमावली, 2010 को जारी किया गया है जिसमें नीतिगत विच्छिन्नता संबंधी प्रक्रिया का विवरण है और नीतिगत विच्छिन्नता संबंधी प्रभारों को सीमित किया गया है।

(v) प्राधिकरण ने अपने वर्तमान अभिकरण अनुज्ञप्ति पोर्टल का नूतन अभिकरण पोर्टल में नवीकरण किया ताकि पोर्टल का कार्यक्षेत्र बढ़ सके और विभिन्न पणधारियों का समेकन अभिकरण अनुज्ञप्ति तंत्र में हो सके। पोर्टल ने अपने कार्य 5.1.2010 को प्रारंभ किए।

11) ऋण बीमा: इरडा ने 13 दिसम्बर, 2010 से प्रभावी व्यापार ऋण बीमा नीतियों संबंधी नए दिशानिर्देश इन उत्पादों की विशेषताओं के मानकीकरण के उद्देश्य से जारी किए हैं। सभी बीमाकर्ताओं को अपने उत्पादों का संशोधन फाइल एंड यूज दिशानिर्देशों एवं व्यापार ऋण दिशानिर्देशों के अनुकूल करना होता है। इन दिशानिर्देशों में विनिर्देश है कि किसी पॉलिसीधारक को मालों एवं सेवाओं का आपूर्तिकर्ता अनिवार्य रूप से होना चाहिए तथा उसका नुकसान व्यापार प्राप्य वस्तुओं की अप्राप्ति के रूप में होना चाहिए तथा सभी क्रेताओं को शामिल करते हुए संपूर्ण उत्पादन के आधार पर ही इसका निर्धारण किया जा सकता है।

12) परिवर्ती बीमा उत्पाद: इरडा ने परिवर्ती बीमा उत्पादों संबंधी दिशानिर्देश 23 नवम्बर, 2010 को जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी वीआईपी बीमा उत्पाद सहभागी या गैर-सहभागी गैर-यूनिट संबद्ध प्लेटफार्म के अंतर्गत ही उपलब्ध होंगे और वे यूनिट संबद्ध प्लेटफार्म के तहत अनुमत नहीं होंगे। इन पालिसियों पर लाभ मृत्यु होने पर या परिपक्वता तिथि को ही देय होगा और पांच वर्ष की न्यूनतम पालिसी तथा भुगतान अवधि वाले नियमित प्रीमियम ही अनुमत हैं। एकल प्रीमियम, सीमित प्रीमियम, और समूह बीमा संविदाएं इन उत्पादों में अनुमत नहीं हैं।

13) उपभोक्ता जानकारी: चूंकि उपभोक्तार्थ जानकारी और पालिसीधारक प्रतिरक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अत: विनियामक उपभोक्ता निकायों को बीमा विषयक सेमिनारों के आयोजन हेतु प्रोत्साहन और समर्थन देते हैं जिससे उपभोक्ता को न केवल जानकारी मिलती है, वरन् उपभोक्ता को उनके प्रतिनिधि(यों) से संवाद करने का मंच भी प्राप्त होता है। स्वयं इरडा विविध विषयों पर राष्ट्रस्तरीय सेमिनारों का आयोजन करता है/उनमें भाग लेता है और उनका समर्थन करता है तथा उपभोक्तार्थ पोर्टल के शीघ्र प्रवर्तन का सुझाव भी देता है।

14) जीवन बीमा पालिसियों की निरंतरता: बीमा उद्योग के हितों में निरंतरता बढ़ाने के इरादे से और अभिकर्ताओं में व्यावसायिकता उत्पन्न करने तथा दीर्घकालिक आजीविका बनाने में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इरडा ने अभिकर्ताओं संबंधी कतिपय न्यूनतम मानकों एवं अपेक्षाओं को तय करने तथा अभिकर्ताओं के निष्पादन की आवधिक समीक्षा करने हेतु बीमाकर्ताओं को अधिदेशित करने के लिए निवेश प्रारूप जारी किया है।

15) **आरंभिक सार्वजनिक पेशकश संबंधी दिशानिर्देश:** अनेक बीमा कंपनियां अपने संचालनों के 10 वर्ष शीघ्र ही पूरे करेंगी जिनके बाद उन्हें आईपीओ प्राप्त करने की अनुमति विनियामक द्वारा दी जा सकती है। जरूरी होगा कि निवेशक वित्तीय निष्पादन, कंपनी के लघु वृत्तांत, वित्तीय स्थिति, जोखिम उन्मुखता, प्रवर्तित कारपोरेट संचालन के महत्वपूर्ण अंगों और ऐसी बीमा कंपनियों के प्रबंधन से बखूबी वाकिफ हों। इरडा सेबी द्वारा गठित स्थायी प्रकटन और लेखाकरण मामलों की समिति की बैठकों में भाग लेता है ताकि उनकी विवरणिका संबंधी दस्तावेजों में उल्लिखित बीमा कंपनियों की प्रकटन अपेक्षाओं को अंतिम रूप दिया जा सके। इरडा ने प्रकटन अपेक्षाओं पर शर्तें निर्धारित करते हुए बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय कार्य विधियां अपनायी है। प्रस्ताव है कि जीवन और जीवनेतर कंपनियों की प्रकटन अपेक्षाएं उनके संबंधित व्यवसायों के स्वरूप के मद्देनज़र पृथकत: उल्लिखित की जाएं।

16) **अन्य क्रियाकलाप:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ इरडा ने भयंकर संकटों के दौरान उत्पादों की इजाद की योजना तय करने और सरकार, एनडीएमए तथा बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि रूप में इरडा के आपदा प्रबंधन पर सामूहिक भूमिका पर चर्चा करने हेतु नई दिल्ली में 11 अगस्त, 2010 को आपदा प्रबंधन सेमिनार का आयोजन किया।

पेंशन क्षेत्र

पेंशन क्षेत्रक-विशिष्टताएं

5.112 भारत में पेंशन सुधार कार्य सरकारी पेंशन व्यवस्था में सुधार की जरूरत की अनुक्रिया में प्रधानत: विकसित हुए हैं। इसे असैन्य सेवकों के पेंशन में सरकारी देयता को सीमित करते हुए निश्चित लाभ को सुनिश्चित अंशदान में बदलकर निर्मित किया गया था। नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर अमल के परिणामस्वरूप सशस्त्र सेना को छोड़कर केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारी 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी इस निश्चित अंशदान योजना में अब शामिल हैं। तदुपरांत, 27 राज्य सरकारों ने अधिसूचना जारी करके अपने कर्मचारियों की एनपीएस में सम्मिलित किया है। आज की स्थिति में निर्दिष्ट सरकारी क्षेत्र के लिए अंशदाता आधार 1.1 मिलियन को पार कर गया है तथा इसमें संचित निधि लगभग 70 बिलियन रुपये हो गयी है। 1 मई, 2009 से एनपीएस को एच्छिक आधार पर भारत के सभी नागरिकों के लिए प्रारंभ करने के बाद की चुनौती देश भर के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को एनपीएस एवं वार्धक्य कालीन आय सुरक्षा के संदेश को फैलाने की है। इसमें एनपीएस वितरण नेटवर्क को इस तरह प्रचारित करना निहित है कि एनपीएस सभी के लिए सहज सुगम हो और लोगों को इसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो ताकि वे पेंशन खाते खोलने में ऐच्छिक निर्णय ले सकें।

एनपीएस का ढांचा

5.113 एनपीएस खाते खोलने और अंशदान प्राप्त करने को अधिकृत प्वाईंट्स ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) नामक वित्तीय संस्थाओं का समूह; पेंशन कोष प्रबंधक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और ग्राहकों के पेंशन कोषों के प्रबंधन में अधिकृत पेंशन कोष प्रबंधक; तथा अभिलेख अनुरक्षक केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एनपीएस ढांचे में अनिवार्यतया शामिल हैं। एनपीएस के लिए केन्द्रीयकृत अभिलेख अनुरक्षण से सुनिश्चित होता है कि व्यक्तिगत पेंशन खाता देश, व्यवसायों और नियोजन भार में पूर्णत: सुवाह्य है। एनपीएस का प्रबंध उच्च प्रौद्योगिकी से संचालित है; सूचना और कोषों का प्रेषण इलेक्ट्रानिक विधि से किया जाता है जिससे गति, यथार्थता और दक्षता सुनिश्चित होती है। पेंशन कोषों का निवेश विहित मानदंडों के अनुसार किया जाता है जो निवेशों की गुणवत्ता और मात्रा पर विवेकपूर्ण सीमाओं के साथ निवेश लिखतो की विभिन्न श्रेणियों को विनिर्दिष्ट करते हैं। पेंशन कोष प्रबंधक तीन पृथक योजना का प्रबंध करते हैं जो तीन आस्तियों वाले वर्गों से बनी होती हैं–(i) इक्विटी (ii) सरकारी प्रतिभूतियां और (iii) ऋण जोखिम-जिसमें नियत आय लिखतें और 50 प्रतिशत की सीमा तक इक्विटी में निवेश शामिल हैं। इक्विटी योजना में कोष प्रबंधक उन सूचकांक निधियों में ही निवेश करेंगे जो बी एस ई सेंसेक्स या एन एस ई निफ्टी 50 सूचकांक की प्रतिकृति होती हैं। अंशदाता को अपने पेंशन धन के निवेश सम्मिश्र पर निर्णय करने का विकल्प प्राप्त रहता है। यदि अंशदाता आस्ति आवंटन संबंधी किसी विकल्प को अपनाने में असमर्थ या अनिच्छुक हो तो उसका अंशदान पूर्वज्ञात पोर्टफोलियो में उपलब्ध ''स्वत: पसंद'' वाले विकल्प के अनुसार निवेशित होगा।

हालिया पहलें

5.114 यद्यपि नई पेंशन योजना संभवत: देश में उपलब्ध सर्वाधिक सस्ते वित्तीय उत्पादों मे से एक है, आर्थिक रूप से लाभ वंचित लोगों के लिए इसे वहनीय बनाने के उद्देश्य से, पी एफ आर डी ए ने हाल ही में एन पी एस के एक निम्नतर लागत रूपांतर की शुरूआत की है जिसका नाम एन पी एस लिट हैं। यह लोगों के समूह को पर्याप्त अपचित लागत पर एन पी एस में शामिल होने में समर्थ बनाती है। पी एफ आर डी ए ने अभी तक नौ सकलकर्ताओं को एन पी एस-लिट क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया है। एन पी एस की एक सुभिन्न विशिष्टता वृद्धावस्था आय सुरक्षा की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने में सरकार की सतत् सहायता है। इस संबंध में, वित्त मंत्री द्वारा बजट 2010 में स्वावलम्बन योजना की घोषणा महत्वूपर्ण थी। स्वावलम्बन

एन पी एस के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कोई भी नागरिक, जो न्यूनतम 1000 रुपए तक और अधिकतम 12000 रुपए के वार्षिक अंशदान के साथ 2010-11 में एन पी एस में प्रविष्ट होता है, अपने एन पी एस खाते में 1000 रुपए का सरकारी अंशदान प्राप्त करेगा। इस घोषणा के साथ, भारत सरकार प्रत्येक नागरिक की वृद्धावस्था आय सुरक्षा में एक प्रत्यक्ष पणधारक बन गई है। यह योजना वर्तमान में 2010-11 से आगे अन्य तीन वर्षों के लिए उपलब्ध हैं तथा यह देश में पेंशन संस्कृति के संवर्धन में काफी सहायक होगी। केन्द्रीय तथा राज्य स्वायत्त निकायों तथा संगठित क्षेत्र जैसे नए खंडों में एन पी एस की पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पी एफ आर डी ए अनेक राज्य सरकारी स्वायत्त निकायों तथा उपक्रमों के साथ उनके कर्मचारियों को एन पी एस में शामिल करने हेतु वार्ता कर रहा है।

एन पी एस का कार्य निष्पादन

5.115 असंगठित क्षेत्र में, दिसम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार लगभग 34,000 अभिदाता एन पी एस योजना में शामिल हो गए हैं। नई शुरू की गई एन पी एस लिट में अभिदाता आधार लगभग 5000 है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों सहित सभी नागरिकों के लिए एन पी एस वर्तमान में 35 पी पी पी की लगभग 5000 सेवा प्रदायक शाखाओं के जरिए उपलब्ध है।

5.116 अपनी सभी अच्छी विशिष्टताओं के बावजूद, एन पी एस को लोकप्रिय बनाना एक चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए, पी एफ आर डी ए ने एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति का नाम अनौपचारिक क्षेत्रक पेंशन के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु समिति (क्रिस्प) है। यह समिति एन पी एस के साथ जुड़े अनेकों मसलों जैसे मंद सार्वजनिक अनुक्रिया के कारण, एक वित्तीय उत्पाद के रूप में एन पी एस की जीवक्षमता, एन पी एस के विपणन/उचित लोकप्रियकरण के अर्थोपाय तथा इस कार्य को निष्पादित करने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त अभिकरण, एन पी एस के लिए एक जीवक्षम आर्थिक प्रोत्साहन मॉडल तथा सम्पूर्ण एन पी एस संरचना में एन पी एस फंड प्रबधकों की भूमिका की जांच करेगी और उपचारी उपाय सुझाएगी। पी एफ आर डी ए के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं–एन पी एस के वितरण संज्ञान का विस्तार करना ताकि यह सभी नागरिकों की सुगम पहुंच में उपलब्ध हो; नागरिकों को निवेशों के जोखिम तथा प्रतिफल रूपरेखा के आधार पर समुचित निवेश निर्णय लेने के लिए शिक्षित करना तथा वित्तीय साक्षरता स्तरों को सुधारने में योगदान देना। पी एफ आर डी ए यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है कि एन पी एस का सम्पूर्ण वितरण नेटवर्क पूर्णतया अभिप्रेरित हो ताकि एन पी एस अभिगम में सुधार हो। यह आशा है कि पेंशन सुधारों की सफलता न केवल विकास हेतु दीर्घावधि बचतों के प्रवाह को सुकर बनाने में सहायता करेगी बल्कि देश में एक विश्वसनीय तथा स्थायी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना में भी सहायक होगी।

चुनौतियां और संभावनाएं

नए बैंकों के लिए लाईसेंसिंग, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

5.117 सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना भारत में समावेशित विकास कार्यसूची के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। बैंकिंग सुविधाा मुहैया कराते समय बैंकिंग क्षेत्र के लिए विनियामक मजबूती के मुद्दे से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अत: बैंकों के रूप में प्रचालन करने के लिए नए निकायों हेतु पात्रता मानक उपलब्ध कराने का मुद्दा परम आवश्यक है।

5.118 बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा को बैंक के स्वरूप के अनुसार श्रेणीकृत किया जाना चाहिए। दो प्रकार के लाइसेंस, नामत: वित्तीय समावेशन की बाध्यता को पूरा करने के लिए आधार बैंकिंग उपलब्ध कराने हेतु एक लाइसेंस और वाणिज्यिक बैंक के सभी कार्यकलापों को समाहित करती पूर्ण बैंकिंग प्रणाली के लिए दूसरा लाइसेंस, रखने पर विचार किया जा सकता है।

5.119 जहां तक बैंकों का संवर्धन करने में औद्योगिक गृहों, व्यवसाय गृहों और एनबीएफसी को अनुमति देने का संबंध हैं उन्हें हित टकराव के मुद्दे से बचाने के लिए प्रावधान सहित पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस की अनुमति दी जाए। आधार बैंकिंग हेतु लाइसेंस दिए जाने के लिए एमएफआई और एनबीएफसी पर विचार किया जाना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि आधार बैंकिंग प्रकार्य स्पष्टतया और वस्तुपरक रूप से परिभाषित किए जाएं।

5.120 बैंकिंग में विदेशी प्रवर्तकों के लिए अपेक्षा की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और विश्वसनीय बैंकिंग अनुभव वाले विदेशी प्रवर्तकों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे उपयुक्तता मानदंडों को पूरा करते हों। साथ ही पारस्परिकता के सिद्धांत को उन देशों पर लागू किया जा सकता है जिन्होंने भारतीय बैंकों को अपने अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने की अनुमति दी है।

5.121 प्रवर्तक शेयरधारिता और अन्य शेयरधारकों पर न्यूनतम और अधिकतम उच्चतम सीमाओं से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक मत यह है कि जैसे जैसे बैंक का कारोबार बढ़ता है, प्रवर्तकों का नियंत्रण कम हो जाना चाहिए और बैंक को अधिक व्यावसायिक रूप से और स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन का मुद्दा

5.122 निकट भविष्य में बैंकों के कार्यों में एक सबसे कठिन कार्य मानव संसाधन का प्रबंध करना होगा। वित्तीय क्षेत्र और विशेषकर बैंकिंग में बाजार नए उत्पादों और सेवाओं द्वारा चालित संवृद्धि को देख रहे हैं जिसमें खुदरा पक्ष पर क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ता वित्त और संपत्ति प्रबंधन संबंधी अवसर और थोक पक्ष पर शुल्क-आधारित आय और निवेश बैंकिंग में अवसर शामिल हैं। इनके लिए विक्रय और विपणन, क्रेडिट और प्रचालन में नए कौशल अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, आयु रूपरेखा और पारिवारिक आय में बदलावों के परिणामस्वरूप जनसांख्यिकीय अंतरणों को देखते हुए, उपभोक्ता बैंकों से वर्धित संस्थागत क्षमताएं और सेवा स्तरों की और मांग करेंगे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मूलभूत रूप से अपने संस्थागत कौशल स्तरों को सुदृढ़ करना होगा विशेषकर, विक्रय और विपणन, सेवा प्रचालनों, जोखिम प्रबंधन और समस्त संगठनात्मक निष्पादन में।

5.123 स्टॉफ की कमी द्वारा सृजित अंतर को कम करने के लिए बैंक प्रौद्योगिकी/व्यापार प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी समग्र जनशक्ति क्षमता का सुधार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भावी नेतृत्व भूमिकाओं का उत्तरदायित्व लेने के लिए होनहार अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर तथा उन्हें तैयार करके बैंकों द्वारा नेतृत्व पदों को संभालने के लिए एक निपुण समूह तैयार किया जा सकता है।

पेंशन सुधार

5.124 एक प्रतिमान बदलाव के रूप में, जिसमें एक परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को परिभाषित अंशदान आधारित प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, भारत सरकार द्वारा एनपीएस की शुरूआत की गई और इसे 1 जनवरी 2004 से सरकार की सभी नई भर्तियों (सशस्त्र बल को छोड़कर) के लिए अनिवार्य किया गया। एनपीएस को 1 मई, 2009 से भारत के समस्त नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर खोला गया। सत्ताईस राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित किया है और इसमें शामिल हो गई हैं। अब तक अधिदेशात्मक सरकारी क्षेत्र के लिए अभिदाता आधार 1.1 मिलियन को पार कर गया है और इससे आधारभूत निधि 70 बिलियन रुपए पर पहुंच रही है। तथापि, असंगठित क्षेत्र, जिसके लिए यह प्रणाली तैयार की गई थी, से बहुसंख्यक जनसंख्या को शामिल करना अब भी एक चुनौती बना हुआ है। पेंशन विनियामक पीएफआरडीए द्वारा वितरण के मुद्दे का निवारण करने के लिए कई नई पहलें की गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनपीएस को अत्यन्त आकर्षक रूप से अभिकल्पित किया गया है, जिसकी कई ग्राहक अनुकूल विशिष्टताएं हैं और इसकी संरचना कम लागत वाली है। अतः पेंशन योजना की आधार संरचना में फेरबदल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष से 1000 रुपए प्रति खाते के प्रत्यक्ष सह-अंशदान का प्रावधान भी किया है। किन्तु एक वितरक और आपूर्ति-चालित बाजार में, पेंशन उत्पाद में संभावित निवेशकों के बीच जागरूकता का सृजन करने में सरकार का हस्तक्षेप अपेक्षित है। पेंशन क्षेत्र में विनियामक मजबूती को प्रोत्साहन देने के लिए लंबे समय से लंबित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक को पारित करने पर विचार करने की भी आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन और साक्षरता

5.125 वित्तीय उत्पादों की संख्या और जटिलता की प्रचुरता से पारिवारिक क्षेत्र में भी जोखिम अंतरित हो रहे हैं। निवेशक और बाजार भागीदार पहली बार औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों और साथ ही नई विक्रय पद्धतियों से उन्मुख हो रहे हैं। इन सबके लिए धन, उसका प्रबंधन और प्रयोग की आधारिक समझ अपेक्षित है। इस समझ के न होने से राष्ट्रों द्वारा समग्र स्तर पर अर्जित आर्थिक लाभ नष्ट हो सकते हैं, जो वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्तियों को वित्तीय दृष्टि से असाक्षर व्यक्तियों के एक छोटे से खंड से पूंजी के अंतरण में परिणामी होगा। अनेक अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि वित्तीय रूप से साक्षर जनसंख्या उपलब्ध वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता को व्यापक करके और अपने सर्वोत्तम हितों में सेवाओं का और कुशल उपयोग कर पाने की व्यष्टियों की समर्थता को बढ़ाकर आर्थिक संवृद्धि और कल्याण का संवर्धन करती है। इस विषय पर वित्तीय साक्षरता विद्वान अन्नामारिया लुसारदी, जो डार्टमाऊथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो (एनबीईआर) में अनुसंधान एसोसिएट हैं, द्वारा किया गया शोधकार्य दर्शाता है कि वित्तीय दृष्टि से कम साक्षर व्यष्टि सेवानिवृत्ति संबंधी कोई योजना नहीं बनाते हैं और अधिक ब्याज दरों पर उधार लेते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कि नागरिकों को वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनाने पर जोर रहा है।

5.126 पारिवारिक बचत दर के 34 प्रतिशत होने से, भारत में मौजूदा खपत के प्रति बचत के गुणों को भली-भांति समझा जा रहा है। कई विकसित देशों से अलग, जहां लोगों से बचत कराना एक मुद्दा है, भारत में इस बचत को निवेश में कुशलता से परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इस धन का एक बड़ा भाग कम-अर्जक परिसंपत्तियों जैसे बैंक जमाराशियों और पारंपरिक बीमा के रूप हैं किन्तु व्यष्टियों द्वारा सुरक्षा-आधारित निवेशों को वरीयता देने की ओर रुझान स्पष्ट है जैसे-जैसे ये आय स्तर पर ऊपर की ओर जाते हैं। अतः भारतीय नीति-निर्माताओं के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है कि वे इन नए बचतकर्ताओं, निवेशकों और उपभोक्ताओं की वित्तीय साक्षरता के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करे ताकि उनके वित्तीय कल्याण के लिए सर्वतोमुखी योजना बनाई जा सके।

5.127 इसके साथ-साथ, जबकि जनसंख्या का एक खंड, जन्म, अवस्थान और शिक्षा के सुलाभों के कारण भारतीय

अर्थव्यवस्था में संवृद्धि की तेज़ गति से लाभान्वित हुआ है, दूसरा खंड वित्तीय प्रणाली से बाहर रहने के कारण लाभ पाने में असमर्थ रहा है। वित्तीय दृष्टि से अछूते इस खंड तक पहुंचना एक अन्य नीतिगत चुनौती है। सरकार ने 2012 तक ग्रामीण क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के अपने आशय की घोषणा करके पहले ही अपनी वचनबद्धता स्पष्ट कर दी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए नई और किफ़ायती-लागत वाली प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग किया जा सकता है।

वृहद विवेकसम्मत विनियम और वित्तीय स्थायित्व: स्थावर संपदा क्षेत्र

5.128 हाल ही में और विशेषकर वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात्, मुख्यतया अर्थव्यवस्था के स्थावर क्षेत्र पर पड़ने वाले अपने प्रभावों के कारण वित्तीय स्थायित्व के मुद्दे ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। स्थावर क्षेत्र में धीमेपन ने नीतिनिर्माताओं द्वारा वित्तीय स्थायीत्व को बनाए रखने के लिए उपायों पर विचार करने की आवश्यकता को प्रबल कर दिया है। इस संबंध में विश्वभर में विचारे गए और किए गए उपायों में से एक उपाय है पहले वित्तीय क्षेत्र में मौजूदा वृहद आर्थिक विवेक सम्मत विनियमों पर विचार करना और पुन: जांच करना और फिर अगर ऐसे विनियम मौजूद नहीं है, तो उन्हें पुर:स्थापित करना। चूंकि वित्तीय संकट का उद्गम यूएस में आवास और स्थावर क्षेत्र में था, इस क्षेत्र में वृहद आर्थिक विनियमों के लिए आवश्यकता पर एक बेहद करीबी नज़र डालना अपेक्षित है। भारत में भी भारतीय रिजर्व बैंक ने इस अपेक्षा को पहचाना है और 2 नवंबर, 2010 की अपनी त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में इस दिशा में उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में आवासीय ऋणों के लिए जोखिम भारों को बढ़ाना और ऐसे ऋणों के लिए मूल्य के प्रति ऋण अनुपातों को बढ़ाना भी शामिल है। ऐसे वृहद आर्थिक विवेकसम्मत विनियमों की आवश्यकता भारत में वित्तीय बाजारों के प्रत्येक खंड में हैं। इन विनियमों का फ़ायदा यह है कि इनका संकेन्द्रण लक्षित खंड में ही है और इनके मौद्रिक नीति में अंतर्विष्ट न होने के कारण ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।